

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार
सिविल अपील सं. 2845/2017

कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य
...अपीलार्थी(गण)

बनाम

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और अन्य

...प्रत्यर्थी(गण)

सह

सि.अ. सं. 2845/2017 में अवमानना याचिका (सि) सं. 896/2018

स्था.मा. (सि.) सं. 19/2023

स्था.मा. (सि.) सं. 20/2023

स्था.मा. (सि.) सं. 16-18/2023

स्था.मा. (सि.) सं. 21/2023

निर्णय

न्या., के.एम. जोसेफ,

1. सिविल अपील प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली (इसके बाद 'अधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जिसके आदेश द्वारा, अधिकरण ने प्रमुख पद के दुरुपयोग के विभिन्न पहलुओं पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (इसके बाद 'सी.सी.आई.' के रूप में संदर्भित) द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और तथ्यों की पुष्टि की। प्रमुख पद के दुरुपयोग का आरोप अपीलार्थियों पर लगाया गया था। याचिका खारिज कर दी गई।

2. दूसरे प्रत्यर्थी ने सी.सी.आई. को जानकारी प्रदान की थी जिस पर सी.सी.आई. ने विचार करना शुरू किया और उसने अपीलार्थियों द्वारा प्रमुख पद का दुरुपयोग पाया।

3. अपीलार्थियों ने अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया है। अं.आ. सं. 66587/2017 अतिरिक्त आधार लेने की अनुमति मांगने वाला एक आवेदन है। पक्षकारों ने अंतर्वर्ती आवेदन में दलीलों का आदान-प्रदान किया। हमने नए आधारों का आग्रह करने के लिए अनुमति मांगने वाले आवेदन को अनुमति दी है।

4. जब मामला दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष 16.09.2022 को आया, तो न्यायलय ने महसूस किया कि चूंकि दिनांक 03.08.2017. के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी, इसलिए यह उचित होगा कि इन मामलों की सुनवाई तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाए। तदनुसार, यह मामला तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया था।

5. अं.आ सं. 66587/2017 में अपीलकर्ताओं के विवाद का प्रमुख कारण यह प्रतीत होता है कि कोल इंडिया लिमिटेड, पहले अपीलकर्ता (जिसे इसके बाद 'सी.आई.एल.' के रूप में संदर्भित किया गया है) को एक अधिनियम द्वारा दिया गया एकाधिकार है और जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) में घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण और कर्तव्यबद्ध है। और दूसरा अपीलकर्ता, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो पहले अपीलकर्ता की एक सहायक कंपनी है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) से बाध्य नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए इसे अस्तित्व में लाया गया था और ऐसे निकाय के आसपास के कानून को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम को लागू करने से ऐसे विसंगत परिणाम निकलेंगे जो अनुच्छेद 39 (ख) में निहित उदात्त लक्ष्य के साथ-साथ उस अधिनियम को भी बाधित करेंगे जिसके तहत सी.आई.एल. बनाया गया था। चूंकि यह पाया गया था कि आयोग/अधिकरण के समक्ष कार्यवाही लंबित थी जिसमें एक जैसा प्रश्न सीधे उठेगा, इसलिए इस न्यायालय में ऐसी कार्यवाही के लिए स्थानांतरण याचिकाएं दायर की गईं। इसलिए, जिन स्थानांतरण याचिकाओं पर हम विचार कर रहे हैं, उन्हें अनुमति दी गई। हालाँकि, यह इस समझ पर है कि न्यायालय व्यक्तिगत मामलों के गुण-दोष में नहीं जाएगा, बल्कि अपीलार्थियों

द्वारा उठाए गए कानून के प्रश्न पर निर्णय देने तक ही सीमित रहेगा, अर्थात्, उनके लिए अधिनियम की प्रयोज्यता।

6. हमने श्री के.के. वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं श्री यमन वर्मा विद्वान अधिवक्ता को सुना। श्री मनिंदर सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, भी अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित हुए। इसके अलावा, हमने सी.सी.आई. की ओर से विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एन. वेंकटरमन और अपील/आवेदन में दूसरे प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार को सुना है। हमने आगे स्थानांतरित मामलों में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

अपीलकर्ता/आवेदनकर्ता की प्रस्तुतियाँ

7. श्री के.के. वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रस्तुत किये कि कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (इसके बाद 'राष्ट्रीयकरण अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थियों द्वारा संचालित कोयला खदानें पूरी तरह से अधिनियम के दायरे से बाहर होंगी। यही कारण है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम में अंतर्निहित उद्देश्य और नीति, केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों जैसे कि अपीलकर्ताओं के हाथों में कोयला खदानों और कोयला खनन के संचालन पर एकाधिकार देना था। यह कोई साधारण एकाधिकार नहीं है। यह राष्ट्रीयकरण अधिनियम द्वारा बनाया गया एकाधिकार है; यह आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए है इसे चुनौती दिए जाने से सुरक्षित करने के लिए, इसे भारत के संविधान के

अनुच्छेद 31-ख का संरक्षण दिया गया था; इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में जोड़ा गया है; भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 (बी) इसे सामान्य एकाधिकार की श्रेणी से बाहर करता है; यही कारण है कि राज्य को 'दुर्लभ संसाधनों के वितरण' द्वारा सुरक्षित किए जा रहे 'लोकहित' के सिद्धांतों को ध्यान में रखने का कर्तव्य सौंपा गया है; कोयला, जिसके साथ हम संबंधित हैं, वास्तव में, राष्ट्र के आर्थिक जीवन में सर्वोच्च महत्व का खनिज है; इसका न्यायसंगत वितरण इस तरह से किया गया है ताकि लोकहित को सुरक्षित किया जा सके जो कि अनुच्छेद 39 (ख) में निहित निर्देश है, जिसके कारण सांविधिक रूप से अनिवार्य एकाधिकार का निर्माण हुआ; जब राष्ट्रीयकरण अधिनियम के संदर्भ में यह बताया गया है कि खदानों का पर्यवेक्षण केंद्र सरकार या किसी निगमित निकाय या कंपनी के पास निहित होगी, जिसे वह बना सकती है। पहला अपीलकर्ता नियंत्रक कंपनी है और इसके अंतर्गत सहायक कंपनियां हैं। राष्ट्रीयकरण अधिनियम के तहत इस पर विचार किया गया है। अतः एकाधिकार के संचालन का भार अपीलार्थियों पर पड़ा। अपीलार्थी संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य अभिप्रेत हैं। उन पर अनुच्छेद 39 (ख) में निहित नीति-निदेशक सिद्धांतों द्वारा कर्तव्य का निर्वहन निर्देशित है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता इंगित किए कि अधिनियम अपीलकर्ता के साथ कंपनी जैसा व्यवहार नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, जबकि अधिनियम की धारा 19 (4) (च) में संकेत हो सकता है कि यह तथ्य कि कानून के तहत एक निकाय

एकाधिकारी है, प्रमुख स्थिति की उपस्थिति का संकेत दे सकता है, जो एक सूक्ष्म अंतर है। सामान्य एकाधिकार के विपरीत, अपीलकर्ता जैसा निगमित निकाय एकाधिकार के मामले का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी अनूठी विशेषता 'अनुच्छेद 39 (ख)' का एकाधिकार है। इस तरह का एकाधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर है। इस न्यायालय के निर्णयों पर इस बात पर जोर देने के लिए भरोसा रखा गया है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम के प्रावधान को प्रभावी बनाने की दृष्टि से अनुच्छेद 39 (ख) अधिनियमित किया गया था (अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य¹ के अनुसरण में संजीव कोक नि. स. बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य² देखें)।

8. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 और 11 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया ताकि यह तर्क दिया जा सके कि कोयला खदान के मामलों और व्यवसाय के सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और प्रबंधन, अन्य बातों के साथ-साथ, जैसा कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम में निहित है, की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए। इस संबंध में, अपीलकर्ताओं द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324 में समान शब्दों की व्याख्या करने वाले फैसले पर भरोसा किया गया है (गुजरात विधानसभा चुनाव मामले³ और भारत के चुनाव आयोग बनाम अशोक कुमार और अन्य⁴ देखें)। हमारा ध्यान इस प्रस्ताव के लिए संविधान के अनुच्छेद 31-ग की ओर भी आकर्षित किया गया है कि कोई कानून जो अनुच्छेद 39 (ख)

या 39 (ग) को प्रभावी बनाता है, उस पर इस आधार पर आक्षेप नहीं किया जा सकता है कि वह संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के साथ असंगत है। इस तरह के कानून को उचित माना जाना चाहिए। दूसरी ओर, यदि कोई कार्रवाई असंगत है या नीति-निदेशक सिद्धांत के विपरीत है, तो इसे प्रथम दृष्टया अनुचित होने के कारण नजरअंदाज किया जा सकता है। (कस्तुरी लाल लक्ष्मी रेड्डी और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य⁵ को देखें)। अपीलार्थियों द्वारा यह भी बताया गया है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम के संदर्भ में और इसे अधिनियम के प्रावधानों के साथ रखने पर, अपीलकर्ता को अधिनियम के तहत लाने से विचलन और विसंगतियां स्पष्ट रूप से सामने आयी हैं। हमारा ध्यान अधिनियम के लंबे शीर्षक की ओर आकर्षित किया गया है। यह बताया गया है कि अधिनियम का उद्देश्य व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। यह राष्ट्रीयकरण अधिनियम के लंबे शीर्षक के विपरीत है जो इंगित करता है कि कानून बनाने वाला का उद्देश्य राज्य को कोयला खदानों का स्वामित्व और नियंत्रण देना है ताकि उक्त संसाधन को इस तरह से वितरित किया जा सके ताकि आम जनता की सर्वोत्तम सेवा की जा सके। यह तर्क दिया जाता है कि सी.आई.एल. वाणिज्यिक क्षेत्र में काम नहीं करती है। इस तथ्य पर बहुत जोर दिया जाता है कि सी.आई.एल. द्वारा संचालित 462 खदानों में से 345 को वर्ष 2012-13 में 9,878 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में, यह अपनी 51 प्रतिशत मानव

शक्ति को लगाता है। ऐसी खदानों में जो लगभग 1,80,726 श्रमिक हैं। इस तथ्य के बावजूद कि ये भूमिगत खदानें ये कुल कोयला उत्पादन में केवल 9 प्रतिशत का योगदान देती हैं, इस बात पर जोर दिया जाता है कि अपीलकर्ता अपने कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए एक निजी खिलाड़ी के रूप में स्वतंत्र नहीं हैं।

9. अधिनियम की धारा 4 (2) (क) वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री या खरीद के लिए अनुचित और विभेदात्मक मूल्य निर्धारण या शर्तों का निषेध करती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायालय इस बात को ध्यान में रख सकता है कि कोयले का मूल्य निर्धारण, जहां तक अपीलकर्ताओं और उसके तहत कोयला कंपनियों का संबंध है, यह अनुच्छेद 39 (ख) के तहत संवैधानिक अधिकार पर आधारित है जो बाजार के सिद्धांतों के साथ असंगत हो सकता है।

10. राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अनुच्छेद 39 (ख) के तहत, अपीलकर्ताओं को कैप्टिव कोयला उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विभेदात्मक मूल्य निर्धारण तंत्र का पालन करना पड़ सकता है। अधिनियम को लागू करने से इस तरह के विभेदात्मक मूल्य निर्धारण तंत्र का पालन करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह फिर से राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य को विफल कर देगा।

11. इसके बाद, धारा 4 (2) (ख) शामिल विरोधाभासी बिन्दुएँ हैं जो इसके प्रमुख शक्तियों का दुरुपयोग करती है जहाँ कोई उद्यम वस्तुओं के उत्पादन, सेवाओं के प्रावधान या बाजार को सीमित या प्रतिबंधित करता है। इन प्रावधानों का प्रभाव

कोयला आपूर्ति और मूल्य निर्धारण तंत्र द्वारा कुछ उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यह बताया गया है कि कोयला मंत्रालय अधिक कोयले की आपूर्ति आवंटित करके पिछड़े क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कार्रवाई करता है। यदि ऐसी नीति या उसके तहत कार्रवाई का अधिनियम की धारा 4 (2) (ख) के तहत परीक्षण किया जाना है, तो यह पारित नहीं हो सकता है। यह फिर से राष्ट्रीयकरण अधिनियम के उद्देश्य और अनुच्छेद 39 (ख) में निहित संपूर्ण सिद्धांत को कमजोर करेगा। राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार में कोयला खदानों का स्वामित्व निहित करती है। हालांकि, धारा 19 के तहत सी.सी.आई. प्रमुख स्थिति निर्धारित करने के लिए एक कारक के रूप में एकाधिकार की स्थिति को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है, चाहे वह सरकार द्वारा नियंत्रित हो या नहीं।

12. इसके बाद, यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 27 (क), सी.सी.आई. को दुरुपयोग की समाप्ति का आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है। यह कोयले के मूल्य निर्धारण और वितरण के संबंध में कल्याणकारी नीति का अनुसरण करने वाले अपीलार्थी के साथ असंगत होगा। राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 32 के तहत खनन कंपनियों को बंद नहीं किया जा सकता है। यह अधिनियम की धारा 28 के विपरीत है जो सी.सी.आई. को अनुबंधों के

समायोजन, उद्यमों के बंद करने सहित प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने वाले उद्यमों को विभाजित करने का अधिकार देता है।

13. इसके बाद, यह इंगित किया गया कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 28 घोषित करती है कि उक्त अधिनियम के प्रावधान अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी लागू अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रबल होंगे। (इस न्यायालय के कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त बनाम एस्के औषधि लिमिटेड के आधिकारिक परिसमापक⁶ के साथ-साथ सांवरमल केजरीवाल बनाम विश्व सह. हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड और अन्य⁷ के निर्णयों पर भरोसा रखा गया है)।

अधिनियम की धारा 60, घोषित करती है कि अधिनियम का प्रावधान उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होगा, दूसरे प्रत्यर्थी या सी.सी.आई. को इस रुख में मदद नहीं कर सकता है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम को अधिनियम को संचालित करने का रास्ता अपनी शर्तों पर बनाना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि अपीलकर्ता भले ही एकाधिकार का गठन करते हों, वे राष्ट्रपति के निर्देशों से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं, जो उन पर बाध्यकारी हैं। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नीति का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। यह अधिनियम में निर्धारित आवश्यकताओं के साथ अपीलकर्ता के कार्यों के बीच एक अपरिहार्य टकराव लाता है। अपीलार्थियों को लाभ के उद्देश्य से प्रेरित नहीं होना चाहिए। अपीलार्थी कल्याणकारी राज्य के विस्तारित

अंग हैं। अपीलार्थियों की गतिविधियाँ कोई साधारण वाणिज्यिक गतिविधियाँ नहीं हैं। जब अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रमुख पद के दुरुपयोग की शिकायत पर विचार किया जाता है तो उन्हें ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। प्रश्नगत खदानें कोयले की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा संचालित लागतोपरि खदानें थीं। यदि उन्हें अधिसूचित कीमतों पर संचालित किया जाता है तो वे अपनी व्यवहार्यता खो सकते हैं।

14. श्री के.के. वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि अपीलार्थियों की कार्रवाई अनुच्छेद 226 या यहां तक कि अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में न्यायिक समीक्षा के लिए अतिसंवेदनशील है। वास्तव में यह बताया गया है कि कोयला नियंत्रक जैसे अन्य मंच भी हैं जिनमें शिकायतें होती हैं, उदाहरण के लिए कोयले की गुणवत्ता। अपीलार्थियों को अधिनियम के प्रावधानों के अधीन करना पूरी तरह से अनुचित है।

प्रत्यर्थी की प्रस्तुतियाँ

15. इसके विपरीत, सी.सी.आई. की ओर से विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दृढ़ता से तर्क दिया कि अधिनियम, वास्तव में, राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 28 में निहित गैर-अस्थाई खंड के बावजूद लागू होता है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्र की आर्थिक नीति में एक आदर्श बदलाव लाना है। बदलते समय और राष्ट्र के सर्वोत्तम आर्थिक हित को सुनिश्चित करने की अनिवार्य

आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम और राष्ट्रीयकरण अधिनियम के बीच कोई टकराव नहीं है। इस अधिनियम को बहुत विचार करने के बाद बनाया गया था। राघवन समिति नामक, एक उच्च स्तरीय समिति, ने राज्य के एकाधिकार से संबंधित मुद्दे पर भी विचार किया। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से संकेत मिलता है कि यह महसूस किया गया था कि राज्य के एकाधिकार का संचालन राष्ट्र के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए नहीं था। राज्य के एकाधिकार को अक्षमता की स्थिति में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इसे अपने व्यवस्थापक अंग को व्यवस्थित करना था और उसके ऊपर प्रहार को रोकना था। यह विशेष रूप से विचार किया गया था कि ऐसे राज्य एकाधिकार को कतार में आना चाहिए और प्रतिस्पर्धी ताकतों के बीच काम करना चाहिए। उन्होंने उल्लिखित किया कि न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि मामले के गुण-दोषों की जांच से स्पष्ट रूप से संकेत मिलेगा कि अपीलार्थियों का प्रयास उस स्थिति से बाहर निकलने का है जब उसके कार्यों को अधिनियम का उल्लंघन करने वाला पाया गया है और जो अच्छे प्रश्न उठाए गए हैं वे वास्तव में सी.सी.आई. के समक्ष स्थापित बचाव पर भी नहीं उठते हैं। वह यह सवाल उठाते हैं कि क्या अपीलकर्ता घटिया वस्तुओं की आपूर्ति को उचित ठहरा सकते हैं और यदि अधिनियम के तहत इस पर सवाल उठाया जाता है तो उच्च संवैधानिक लक्ष्य के खतरे के आधार पर इसे उचित ठहरा सकते हैं।

16. उन्होंने उल्लिखित किया कि अधिनियम के अधिकारों के लिए कोई चुनौती नहीं है। चुनौती की अनुपस्थिति में कानून को पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने इस न्यायालय के नई दिल्ली नगर परिषद बनाम पंजाब राज्य और अन्य के निर्णय पर भी भरोसा किया यह तर्क दिया कि जब राज्य के साधन वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रवेश करती है और कोई व्यावसायिक गतिविधि कर रही है, तो यह देश के कानूनों से उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकती है। यद्यपि उक्त मामला अनुच्छेद 286 के संदर्भ में दिया गया था, वह प्रस्तुत किए कि सिद्धांत उपयुक्त है।

17. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है जहां जानकारी प्राप्त की जाती है या यह स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्य करता है। निश्चित रूप से, यह जांच शाखा द्वारा एक रिपोर्ट की मांग करता है। सी.सी.आई. को संविधान पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि यह उन लोगों द्वारा बनाया गया है जो ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में विशेषज्ञ हैं। प्रमुख पद के दुरुपयोग जैसी शिकायतों को बहुत विस्तार से देखा जाता है, संबंधित व्यक्तियों को अपनी आपत्तियां रखने का पूरा अवसर दिया जाता है। सी.सी.आई. केवल तभी कार्य करता है जब प्रमुख पद के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला, अन्य बातों के साथ-साथ, स्थापित पाया जाता है। वह तर्क देगा कि अपीलकर्ता पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम की धारा 617 के अर्थ के तहत सरकारी कंपनी है। उन्होंने यह इंगित किया कि यह

कानून नहीं है कि ऐसी संस्था यह दावा कर सकती है कि उसके कार्यों को इस तथ्य के कारण जांच के दायरे से बाहर रखा गया है जिस कानून के तहत वे काम करते हैं, उसे नौवीं अनुसूची में रखा गया है। उन्होंने इंगित किया कि जहां तक प्रमुख पद के दुरुपयोग से संबंधित जानकारी का संबंध है, अधिनियम में तीन विधियाँ प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले, संस्था को अधिनियम की धारा 2 (एच) में निहित उद्यम के विवरण का उत्तर देना होगा। एक बार जब उक्त बाधा पार हो जाती है, तो सी.सी.आई. को यह पता लगाना चाहिए कि क्या उद्यम प्रमुख स्थान पर है। यह एक ऐसा मामला है जो अधिनियम की धारा 19 (4) में शामिल है। ऐसे कई कारक हैं जो इंगित किए गए हैं। अंतिम भाग अवशिष्ट खंड द्वारा उठाया गया है, अर्थात्, धारा 19 (4) (एम) जो किसी अन्य कारक के लिए प्रावधान करती है जिसे आयोग जांच के लिए प्रासंगिक मान सकता है। यह दूसरी विधि है। दूसरे शब्दों में, यह किसी भी संस्था द्वारा दुरुपयोग नहीं है, बल्कि उद्यम द्वारा इसका दुरुपयोग अवश्य होता है। इसके बाद, उद्यम को प्रमुख स्थिति का उपयोग करना चाहिए। जहाँ तक प्रमुख स्थिति की बात है, अधिनियम की धारा 4 (2) के दूसरे स्पष्टीकरण में विस्तार से बताया गया है। इस प्रकार, आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूर्व निर्धारित और वस्तुनिष्ठ मानदंडों द्वारा नियंत्रित होता है कि क्या कोई उद्यम धारा 4 (2) में दिए गए स्पष्टीकरण के संदर्भ में प्रमुख स्थिति में है और साथ ही उन कारकों को भी जो धारा 19 (4) में विस्तृत रूप से निर्धारित

किए गए हैं। यह दूसरी विधि पारित होने के बाद है, कि सी.सी.आई. को वास्तव में यह पता लगाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि क्या इसकी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग हो रहा है। धारा 4 (2) के प्रावधान से प्रतीत होता है कि प्रमुख पद का क्या दुरुपयोग किया होगा। यह अधिनियम की योजना होने के कारण, उनका तर्क है कि अपीलकर्ताओं द्वारा उसी कानून बनाने वाला द्वारा प्रदान की गई एक सुविचारित कानून से खुद को बाहर निकालने के प्रयास में कोई योग्यता नहीं हो सकती है।

18. उन्होंने कहा कि शुरू में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कोयला एक आवश्यक वस्तु थी। जब यह न्यायालय निर्णय देता है तो अपीलार्थियों द्वारा भी उस पर भरोसा किया जाता है, अर्थात्, अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य⁹, में कोयला एक आवश्यक वस्तु थी। न्यायालय ने भी उक्त आधार पर कार्यवाही की। लेकिन फरवरी, 2007 से कोयला एक आवश्यक वस्तु नहीं रह गयी। इसके बाद, यह कहा गया कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम, जिसे अपीलार्थी के पूरे मामले के आधार के रूप में पेश किया जाता है, को ही वर्ष 2017 में नौवीं अनुसूची से बाहर कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण अधिनियम स्वतः निरस्त हो जाता है। इसलिए, उन्होंने कहा कि न्यायालय को राष्ट्रीयकरण अधिनियम द्वारा ग्रहण की गई 'पवित्र' स्थिति के आधार

पर फैसला सुनाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, जो अब अपने आप में मामला नहीं है।

(हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.के. वेणुगोपाल ने अपनी प्रारंभिक प्रस्तुतियों में भी इन घटनाक्रमों की ओर इशारा किया था। हालाँकि, यह उनका तर्क है कि जिन अनुबंधों से यह न्यायालय संबंधित है, वे सभी उस अवधि के दौरान उत्पन्न हुए जब राष्ट्रीयकरण अधिनियम नौवीं अनुसूची में था।)

19. श्री एन. वेंकटरमन पुनः उल्लिखित किए कि न्यायालय इस तथ्य को नजर अंदाज नहीं कर सकता है कि जबकि पहली अपीलकर्ता अपनी हिस्सेदारी के मामले में पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व में थी, 2010 के बाद, विनिवेश के बाद, सरकार की हिस्सेदारी घटकर लगभग 67 प्रतिशत हो गई है। शेष शेयरधारिता निजी हाथों में है। वामन राव और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य¹⁰ मामलों में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है। आई.आर. कोएल्हो (मृत) द्वारा एलआर बनाम त.ना. राज्य¹¹ से इस प्रस्थापना के लिए काफी समर्थन मांगा गया है कि उन्मुक्ति, नौवीं अनुसूची में उनके समाविष्ट पर प्राप्त कानून और कानून, जिन्हें नौवीं अनुसूची में रखा जा सकता है, काफी कमजोर हैं।

आगे इसे खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य¹² (पैराग्राफ-25) में निर्णय के संदर्भ में बताया गया है कि मौलिक अधिकार आत्यन्तिक नहीं

हैं और वे 'सीमित मौलिक अधिकार' हैं। पराग बर्फ और तेल मिलों और अन्य बनाम भारत संघ¹³, के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह बताया गया है कि उस कानून के विपरीत जिसे अनुच्छेद 31-ग के तहत संरक्षित किया जा सकता है, कानून के तहत पारित आदेश समान उन्मुक्ति का हकदार नहीं हो सकता है। वह न्यायालय को उन मामलों में निर्णय लेने के खिलाफ आगाह करेंगे जो सामान्य रूप में सबसे अधिक उत्पन्न हो सकते हैं। जब तथ्यों पर सवाल उठते हैं तो उनका जवाब दिया जाना चाहिए।

20. उन्होंने तर्क दिया कि न्यायालय ऐसी व्याख्या कर सकता है जो कानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाए, जो इस मामले में, आम आदमी की अत्यधिक भलाई के लिए अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाना है। (इस संबंध में अजैब सिंह बनाम सरहिंद सह. विपणन-सह-प्रसंस्करण सेवा सोसायटी लिमिटेड और अन्य¹⁴ देखें)।

21. दूसरे प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार इंगित किए कि अनुच्छेद 39 (ख) में पाए जाने वाले अपीलकर्ता द्वारा लोकहित की अवधारणा पर बहुत अधिक भरोसा किया जाता है, जिसकी व्याख्या आम आदमी या नागरिकों के हित के रूप में की जानी चाहिए। 80 प्रतिशत कोयले की आपूर्ति सी.आई.एल. द्वारा बिजली कंपनियों को की जाती है। दूसरा प्रत्यर्थी एक बिजली कंपनी है। दूसरा प्रत्यर्थी वास्तव में बिजली की आपूर्ति करता है। वितरण कंपनियों द्वारा कोयले का उपयोग करके बिजली उत्पादित किया जाता है (वास्तव में, संयोग से महाराष्ट्र

राज्य एजेंसी द्वारा हमारे सामने प्रतिनिधित्व किया जाता है), जो अंत में अंतिम उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति करते हैं। कोयले की निरंतर आपूर्ति और अनुबंधों का ठीक तरह से प्रदर्शन और कोयले की दरों और गुणवत्ता की तर्कसंगतता, दूसरे शब्दों में, दूसरे प्रत्यर्थी के अनुसार, लोकहित से संबंधित हैं, जिस पर अपीलकर्ताओं द्वारा जोर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम एक अनुचित कानून था।

22. इसके बाद, उन्होंने इंगित किए कि पूर्ववर्ती अधिनियम, अर्थात्, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (जिसे इसके बाद एम.आर.टी.पी. अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है), जिसे एक अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था, को ध्यान में रखा जा सकता है। उक्त अधिनियम में, धारा 3 ने स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि जब तक इसे अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक एम.आर.टी.पी. अधिनियम सरकारी एजेंसियों पर लागू नहीं होगा, जैसा कि उसमें इंगित किया गया है। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने एम.आर.टी.पी. अधिनियम की धारा 21-क की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। अधिनियम की प्रस्तावना से प्रेरणा लेते हुए, वह इस बात पर जोर देते हैं कि अधिनियम का केंद्रबिंदु उपभोक्ता है। दूसरे शब्दों में लोकहित, उपभोक्ता की भलाई से जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने अधिनियम की धारा 54 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जो छूट देने की शक्ति प्रदान करती है।

उन्होंने छूट देने वाली दो अधिसूचनाओं की ओर इशारा किया जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों के पक्ष में थीं। यदि अपीलार्थी वैध रूप से अधिनियम के दायरे से बाहर ले जाने की इच्छा रखते हैं, तो धारा 54 महत्वपूर्ण है और एक वैध तरीका है। जब तक कोई छूट नहीं है, तब तक अधिनियम अपीलार्थियों पर लागू होता है। वह आगे अपीलार्थियों के मामले को लड़ेंगे कि अपीलार्थी घाटे में चल रही कई खदानों के परिणामस्वरूप घाटे में चल रहे थे। वह यह प्रदर्शित करने के लिए आंकड़े प्रदान करने का इरादा रखते हैं कि अपीलार्थी लाभ के रूप में भारी राशि कमा रहे हैं और इससे भी अधिक, इसे लाभांश के रूप में भारत सरकार को सौंप रहे हैं। यह भारत सरकार की हिस्सेदारी को कम करने पर भी प्रकाश डालता है। उन्होंने इंगित किया कि अपीलकर्ताओं द्वारा कोई दावा नहीं किया जा सकता है कि यह किसी भी संप्रभु कार्यों को कर रहा है। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा ¹⁵ (पैराग्राफ-163 और 168 देखें), एन. नागेंद्र राव एंड कंपनी बनाम आ.प्र. ¹⁶ (पैराग्राफ-9, 13, 19 और 25 देखें), अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और अन्य बनाम चंद्रिमा दास (श्रीमती) और अन्य ¹⁷ (पैराग्राफ-38, 41 और 42 देखें) और कृषि उपज बाजार समिति बनाम अशोक हरिकुनी और अन्य ¹⁸ (पैराग्राफ-21 और 32 देखें)।

23. स्थानांतरित मामलों में एक पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम. मिश्रा अपील में प्रत्यर्थी का समर्थन किए। उन्होंने कहा कि वास्तव में, वे

महाराष्ट्र बिजली उत्पादन कंपनी की तरफ से उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय इस बात को ध्यान में रख सकता है कि ऐसा नहीं है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ शिकायत केवल अपील में दूसरे प्रत्यर्थी की तरह निजी खिलाड़ियों द्वारा की जा रही है। अपीलार्थियों के कृत्यों और चूक पर उनके मुवक्किल जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा भी आपत्ति जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत, बिजली की कीमत आयोग द्वारा उक्त अधिनियम के तहत विनियमित की जाती है। निवेश पर प्रतिफल अत्यधिक विनियमित है। लागत में कोयले का योगदान 60-70 प्रतिशत है। कोयले की कीमत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक दोनों पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत महानिदेशक की रिपोर्ट तथ्यों को सामने लाती है। अपीलार्थियों के इस तर्क के बारे में कि रिट अदालतें इस प्रश्न पर विचार कर सकती हैं, यह इंगित करता जाता है कि मामलों में तथ्य शामिल हो सकते हैं, जिन पर सी.सी.आई. जैसे निकाय द्वारा सबसे अच्छी तरह से निपटान किया जाता है। उन्होंने इस न्यायालय के हसन मुर्तजा बनाम हरियाणा राज्य¹⁹ और कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त बनाम आधिकारिक परिसमापक²⁰ निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। सी.सी.आई. और दूसरे प्रत्यर्थी के समर्थन में इसी तरह के तर्क को स्थानान्तरित मामलों में अन्य प्रत्यर्थी द्वारा कही गई।

24. प्रस्तुतियों के जवाब में, श्री के.के. वेणुगोपाल इंगित किए कि यह अपीलार्थियों का मामला नहीं है कि अपीलकर्ता सभी कानूनों से मुक्त हैं। उन्होंने आगे यह इंगित किया कि नौवीं अनुसूची से राष्ट्रीयकरण अधिनियम को हटाने से उनकी दलीलें प्रभावित नहीं हो सकती हैं क्योंकि अनुबंध प्रश्नगत है। यह उस अवधि से संबंधित है जब राष्ट्रीयकरण अधिनियम 9वीं अनुसूची में था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य ²¹ में अभिनिर्धारित की, ऐसा नहीं है कि अपीलार्थियों के कार्य अनुच्छेद 14 के तहत न्यायिक समीक्षा से मुक्त हैं। उन्होंने दोहराया कि प्रभावित पक्ष अन्य मंचों पर निवारण की मांग कर सकता है। उन्होंने इस बात पर फिर से जोर दिया कि अधिनियम और यहां तक कि राघवन समिति की रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र की उन कंपनियों की प्रकारों का उल्लेख नहीं है जो अनुच्छेद 39 (ख) के तहत लोकहित करने के लिए तैयार हैं और जिनके संचालन को उपयुक्त समय पर 9वीं अनुसूची में शामिल करके चुनौती से सुरक्षित किया गया था। अनुच्छेद 39 (ख) में "इस तरह से वितरित" शब्द राष्ट्रीयकरण अधिनियम पारित होने के बाद भी राज्य के लिए एक निरंतर आदेश है। यह इस तर्क का विरोध करने के लिए है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम के साथ सब कुछ कर लिया गया था और यह एक बार का मामला था। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 39 (ख) का आदेश यह है कि राज्य लोकहित को ध्यान में रखेगा और इसलिए, कोयला को भले ही

आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटा दिया जाए, देश का संसाधन रहता ही है जिसे लोकहित प्राप्त करने के लिए वितरित किया जाना चाहिए। वह इस संबंध में अपने तर्क को दोहराते हैं। उन्होंने हमारा ध्यान सामान्य एकाधिकार और राज्य एकाधिकार के बीच के अंतर की ओर आकर्षित किया, जो अनुच्छेद 39 (ख) में शामिल है। यह बताया गया है कि उनके हित सामान नहीं हैं। वास्तव में, विद्वान अधिवक्ता श्री यमन वर्मा ने उन बाधाओं की ओर इशारा करते हुए निपुणता से परिपूरक किया जिनके तहत अपीलार्थी काम करने के लिए बाध्य हैं। वह नई कोयला नीति और राष्ट्रपति के निर्देशों की ओर इंगित करते हैं उन्होंने यह इंगित किया कि भले ही अधिनियम लागू हो गया हो, न्यायालय स्पष्ट कर सकता है कि अपीलार्थी मानदंडों पर भरोसा करके अपने कार्यों के औचित्य का दावा कर सकते हैं, जिनका वे पालन करने के लिए बाध्य हैं। हमें इस मोड़ पर यह दर्ज करना चाहिए कि जब हमने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. के. वेणुगोपाल से पूछा कि क्या वह दावा कर रहे थे कि अपीलार्थी ऐसी गतिविधियाँ कर रहे थे, जिन्हें संप्रभु कार्यों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो जवाब सीधा और स्पष्ट था, अर्थात्, उनका ऐसा कोई मामला नहीं था।

25. जब राष्ट्रपति के निर्देशों और सरकार की नीति के बारे में विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, एन. वेंकटरमन को बताया गया था, तो वे यह सवाल पूछे थे कि ऐसा क्या है जो इस तरह के विवाद को उठाने से रोकता है। मामले का फैसला उठाए गए वास्तविक तर्कों और प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।

वे न्यायालय को प्रोत्साहित करेंगे कि अधिनियम को उसके संचालन में सफल होने की अनुमति देने की सर्वोपरि आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय अपीलार्थियों को अधिनियम के सुविचारित प्रावधानों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दे सकता है जो कानून सर्वोच्च लोकहित को पूरा करेगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम के तहत यदि एक बचाव स्थापित किया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्देशों का वास्तविक पालन किया जा रहा है, तो यह एक ऐसा मामला होगा जिसमें सी.सी.आई. को शामिल करना पड़ सकता है।

विश्लेषण

26. जैसा कि हमने प्रश्न को देखा है, हमें यह तय करने के लिए कहा जाता है कि क्या अधिनियम अपीलार्थियों पर लागू होता है या नहीं। यह आवश्यक है कि हम सावधानी से चलें इसलिए कि हम गुणों जाँच करें, जो केवल तभी किया जा सकता है जब अपील को गुणों के आधार पर सुना जाता है।

27. अधिनियम को पारित करने से पहले, उस कानून को देखना आवश्यक हो जाता है, जिसे निरस्त कर दिया था। एम.आर.टी.पी. अधिनियम वर्ष 1969 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं से निपटना था जैसा कि बहुत लंबे शीर्षक से पता चलता है। वर्ष 2002 तक अधिनियम द्वारा इसे निरस्त किए जाने तक यह प्रभावी रहा। हालाँकि, यह

अधिनियम वस्तुतः वर्ष 2009 में लागू किया गया था। एम.आर.टी.पी. अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर ध्यान देना प्रासंगिक है।

28. 1982 के अधिनियम 30 द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम की धारा 2 (घ) में 'प्रमुख उपक्रम' शब्दों की परिभाषा प्रदान की गई है। परिभाषा अपने आप में काफी जटिल प्रतीत होती है। वास्तव में, 'माल' शब्द को माल की बिक्री अधिनियम, 1930 में परिभाषित माल के रूप में परिभाषित किया गया था और विशेष रूप से, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत में खनन किए गए उत्पाद भी शामिल थे। एम.आर.टी.पी. अधिनियम संबद्ध व्यक्तियों, आपस में जुड़े उपक्रमों और अंत में 'उपक्रम' शब्द जैसी अवधारणाओं से संबंधित है। इन तीन व्याख्याओं के बिना, 'उपक्रम' शब्द धारा 2 (V) में निहित था और इसमें लिखा था:

"2 (V) "उपक्रम" से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जो वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, वितरण, प्राप्ति या नियंत्रण में या किसी भी प्रकार की सेवाओं के प्रावधानों में या तो प्रत्यक्ष रूप से या अपनी एक या अधिक इकाइयों या प्रभागों द्वारा उससे लगी हुई है या प्रस्तावित है, चाहे वह इकाई या प्रभाग उसी स्थान पर स्थित हो जहां उपक्रम स्थित है या किसी अलग स्थान पर या अलग-अलग स्थानों पर स्थित है।

स्पष्टीकरण I - इस खंड में -

(क) "वस्तु" में एक नयी वस्तु शामिल है और "सेवा" में एक नई सेवा शामिल है;

(ख) "इकाई" या "विभाजन", एक उपक्रम के सन्दर्भ में शामिल हैं:

(i) किसी वस्तु के उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, वितरण, प्राप्ति या नियंत्रण के लिए स्थापित एक संयंत्र या कारखाना;

(ii) किसी भी सेवा के प्रावधान के लिए स्थापित कोई शाखा या कार्यालय।

स्पष्टीकरण II- इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक निगमित निकाय, जो केवल किसी अन्य निगमित निकाय के शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के अधिग्रहण, धारण, हामीदारी या लेनदेन के व्यवसाय में लगा हुआ है या कर रहा है, उसे एक उपक्रम माना जाएगा।

स्पष्टीकरण III- शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि एक निवेश कंपनी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक उपक्रम माना जाएगा। "

एम.आर.टी.पी. अधिनियम ने एकाधिकारवादी व्यापार के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक व्यापार की परिभाषा भी प्रदान की।

29. एम.आर.टी.पी. अधिनियम की धारा 3 निम्नानुसार है:

"3. अधिनियम कुछ मामलों में लागू नहीं होता है। जब तक केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, अन्यथा निर्देश नहीं देती है, यह अधिनियम लागू नहीं होगा-

(क) किसी सरकारी कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी भी उपक्रम पर,

(ख) सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाला कोई उपक्रम,

(ग) किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम (कंपनी नहीं) के स्वामित्व या नियंत्रण वाला कोई उपक्रम,

(घ) श्रमिक या कर्मचारी के रूप में अपनी उचित सुरक्षा के लिए गठित कोई श्रमिक संघ या कामगारों या कर्मचारियों का अन्य संघ,

(ङ) किसी उद्योग में लगा हुआ कोई उपक्रम, जिसका प्रबंधन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा केंद्र सरकार द्वारा उस समय लागू किसी कानून के तहत किए गए किसी प्राधिकरण के अनुसरण में लिया गया है,

(च) सहकारी समितियों से संबंधित किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम के तहत गठित और पंजीकृत किसी सहकारी समिति के स्वामित्व वाला कोई उपक्रम,

(छ) कोई वित्तीय संस्था।

स्पष्टीकरण- खंड (ग) के प्रयोजन के लिए यह निर्धारित करने में कि कोई उपक्रम निगम के स्वामित्व में है या नियंत्रित है या नहीं, वित्तीय संस्थानों द्वारा रखे गए शेयरों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।"

30. दूसरे शब्दों में, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, उक्त अधिनियम के प्रावधान किसी सरकारी कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उपक्रम या किसी निगम के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी उपक्रम (जो किसी केंद्रीय, प्रांतीय या

राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित कंपनी नहीं है) पर तब तक लागू नहीं होते जब तक कि इसे किसी अधिसूचना द्वारा स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया जाता। यह किसी भी उपक्रम पर लागू नहीं होता था, जिसका प्रबंधन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा केंद्र सरकार द्वारा उस समय लागू किसी भी कानून [खंड (ड)] के तहत किए गए किसी भी प्राधिकरण के अनुसरण में लिया गया था। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है।

31. कोयला नियंत्रण आदेश नियमों के तहत वर्ष 1945 में पारित किया गया था। यह उक्त आदेश है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी रखा गया। कोयला नियंत्रक गुणवत्ता और मात्रा को नियंत्रित करता था जैसा कि अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया (पी) लिमिटेड और अन्य²² में देखी गई। इसके अत्याधिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, यह एक मात्र खनिज है जिसका राष्ट्रीयकरण कोकिंग कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1972 और कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 में किया गया था। कोयला खान नियंत्रण आदेश 1945 को निरस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 01.01.2000 से कोयला खान कॉलर नियंत्रण आदेश 2000 लागू किया गया।

32. राष्ट्रीयकरण अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार है:

"अनुसूची में निर्दिष्ट कोयला खदानों के संबंध में मालिकों के अधिकार, स्वामित्व और हित के अधिग्रहण और हस्तांतरण का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम, ताकि ऐसी कोयला

खदानों को फिर से व्यवस्थित और पुनर्निर्मित किया जा सके ताकि देश की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप कोयला संसाधनों का तर्कसंगत, समन्वित और वैज्ञानिक विकास और उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, ताकि ऐसे संसाधनों का स्वामित्व और आदेश राज्य में निहित हो और इस तरह लोकहित के लिए और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए वितरित किया जा सके।"

33. राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 (1) इस प्रकार है:

"3. कोयला खदानों के संबंध में मालिकों के अधिकारों का अधिग्रहण। - (1) नियत दिन पर, अनुसूची में निर्दिष्ट कोयला खदान के संबंध में मालिकों के अधिकार, स्वामित्व और हित, सभी दायित्वों से मुक्त होकर केंद्र सरकार को हस्तांतरित हो जाएंगे और पूरी तरह से उसमें निहित हो जाएंगे।"

34. इसे कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 67/1976 के द्वारा संशोधित किया गया। बाद में संशोधन किया गया, अर्थात्, दिनांक 09.06.2003 को अधिनियम 47/ 1993। संशोधन के बाद, धारा 3 (3) निम्नानुसार है:

"3 (3) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1976 (67/1976) की धारा 3 के प्रारंभ होने और उसके बाद से -

(क) कोई भी व्यक्ति, इसके अलावा -

(i) केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के स्वामित्व, प्रबंधन या नियंत्रण वाली सरकार, कंपनी या निगम, या

(ii) ऐसा व्यक्ति जिसे खंड (ग) के परंतुक में निर्दिष्ट उप-पट्टा ऐसी किसी सरकार, कंपनी या निगम द्वारा दिया गया है, या

(iii) ऐसी कम्पनी (1) लोहा और इस्पात का उत्पादन, (2) बिजली का उत्पादन, (3) खदान से प्राप्त कोयले को धोना, या (4) ऐसा अन्य अंतिम उपयोग जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, भारत में किसी भी रूप में कोयला खनन कार्य करेगी;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट सरकार, कंपनी या निगम के पक्ष में ऐसे प्रारंभ से पहले दिए गए खनन पट्टों को छोड़कर और ऐसी किसी सरकार, कंपनी या निगम द्वारा दिया गया कोई उप-पट्टा, प्रारंभ से तुरंत पहले लागू अन्य सभी खनन पट्टे और उप-पट्टे, जहां तक वे कोयले के अधिग्रहण या खनन से संबंधित हैं, समाप्त हो जाएंगे।

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट सरकार, कंपनी या निगम के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को कोयला प्राप्त करने या खनन के लिए कोई पट्टा नहीं दिया जाएगा:

बशर्ते कि सरकार, कंपनी या निगम जिसे कोयला प्राप्त करने या खनन के लिए पट्टा दिया गया है, वह किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को ऐसे नियमों और शर्तों पर उप-पट्टा दे सकती है जो उप-पट्टा देने वाले दस्तावेज में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, यदि सरकार, कंपनी या निगम संतुष्ट है कि -

(i) क्षेत्र में कोयले के भंडार अलग-अलग छोटे क्षेत्रों में हैं या समन्वित और एकीकृत तरीके से वैज्ञानिक और आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं हैं, और

(ii) उप-पट्टेदार द्वारा उत्पादित कोयले को रेल द्वारा ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी।"

35. धारा 4 के तहत, केंद्र सरकार को राज्य सरकार का पट्टेदार बनना था जो धारा 3 के तहत निहित किया गया था। धारा 5 इस प्रकार है:

"5. किसी सरकारी कंपनी को अधिकार सौंपने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति-

(1) धारा 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी, यदि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाता है कि कोई सरकारी कंपनी ऐसे नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है, या उसका पालन किया है, जिन्हें वह सरकार लिखित आदेश द्वारा अधिरोपित करने के लिए उचित समझती है, कि धारा 3 में निर्दिष्ट कोयला खदान के संबंध में किसी मालिक का अधिकार, स्वामित्व और हित, केंद्र सरकार में निहित रहने जारी रखने के बजाय, निर्देश के प्रकाशन की तारीख को या ऐसी पहले या बाद की तारीख को (नियत दिन से पहले की तारीख नहीं) सरकारी कंपनी में निहित होगा, जो निर्देश में निर्दिष्ट की जाए।

(2) जहां किसी कोयला खदान के संबंध में किसी मालिक का अधिकार, स्वामित्व और हित उप-धारा (1) के तहत किसी सरकारी कंपनी में निहित है, वहां सरकारी कंपनी को, ऐसे निहित होने की तारीख को और उससे, ऐसी कोयला खदान के संबंध में पट्टेदार माना जाएगा जैसे कि कोयला खदान के संबंध में कोई खनन पट्टा सरकारी कंपनी को दिया गया हो और ऐसे पट्टे की अवधि वह पूरी अवधि होगी जिसके लिए खनिज रियायत नियमों के तहत ऐसा पट्टा दिया जा सकता था और ऐसी कोयला खदान के संबंध में केंद्र सरकार के सभी अधिकार और देनदारियां, ऐसी निहित होने की तारीख को और उससे, क्रमशः सरकारी कंपनी के अधिकार और देनदारियां मान ली जाएंगी।

(3) धारा 4 की उप- धारा (2) के प्रावधान उस पट्टे पर लागू होंगे जो किसी सरकारी कंपनी में निहित है क्योंकि वे केंद्र सरकार में निहित पट्टे पर लागू होते हैं और उसमें "केंद्र सरकार" के संदर्भों को सरकारी कंपनी के संदर्भों के रूप में माना जाएगा।"

36. मामले के उद्देश्य की उद्देश्यपूर्ति हेतु धारा 11 महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है-

"11. कोयला के खानों का प्रबंधन आदि- (1) किसी कोयला खदान के मामलों और व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निर्देश, नियंत्रण और प्रबंधन, जिसके संबंध में धारा 3 के तहत किसी मालिक के अधिकार, स्वामित्व और हित केंद्र सरकार में निहित हैं (क) उस कोयला खदान के मामले में, जिसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत निर्देश दिया गया है, ऐसे निर्देश निर्दिष्ट सरकारी कंपनी में निहित होगा, या (ख) कोयला खदान के मामले में, जिसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है, उप-धारा (2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक संरक्षकों में निहित होगा, (2) और उस पर इस प्रकार निर्दिष्ट सरकारी कंपनी या संरक्षक को केंद्र सरकार किसी ऐसे व्यक्ति या सरकारी कंपनी को कोयला खदान के संरक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है जिसके संबंध में उसके द्वारा धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत कोई निर्देश नहीं दिया गया है।"

37. इस मामले के उद्देश्य के लिए यह पर्याप्त है कि हम अगली धारा 28 पर ध्यान दें:

"28. अन्य कानूनों पर इस अधिनियम का प्रभाव- इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून में

या किसी दस्तावेज में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे। इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी डिक्री या आदेश में प्रभावी होंगे ।"

38. अंत में, हम अधिकरण 32 पर ध्यान देते हैं, वह इस प्रकार है-

"32. केंद्र सरकार की सहमति के अलावा किसी भी अदालत में किसी खनन कंपनी को बंद करने, उस कोयला खदान के संबंध में सही स्वामित्व और हित के लिए कोई कार्यवाही नहीं होगी जो केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, जिसे इस अधिनियम के तहत सरकारी कंपनी कहा जाता है या कंपनी के व्यवसाय के संबंध में रिसीवर की नियुक्ति केंद्र सरकार की सहमति के बिना कोर्ट के ऊपर निर्भर है ।"

39. राष्ट्रीयकरण अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया है । यह नौवीं अनुसूची में तब तक रहा जब तक कि इसे वर्ष 2017 में हटा नहीं दिया गया।

40. भारत के संविधान का अनुच्छेद 31ख निम्नानुसार है:

"31ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का वैधानिकरण अनुच्छेद 31क में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नौवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम और विनियम या उसके किसी भी प्रावधान को इस आधार पर ना तो वह शून्य होगा ना ही वह शून्य माना जाएगा कि ऐसा अधिनियम, विनियम या प्रावधान इस भाग के किसी भी प्रावधान द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को और किसी भी न्यायालय या

न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद न्यून करता है और साथ ही असंगत है, या उसे छीनता है या कम करता है। इसके विपरीत, उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक में, किसी से असंगत होते हुए भी विपरीत प्रत्येक कथित कानून और विनियम सक्षम विधायिका का विषय है और वह शक्ति में बने रहने के लिए, वह चाहे तो इसे संशोधित कर सकती है या हटा सकती है।

41. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31ग में कहा गया है-

"31ग अनुच्छेद 13 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, भाग 4 में निर्धारित सभी या किसी भी सिद्धांत को सुरक्षित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी बनाने वाला कोई भी कानून इस आधार पर अमान्य नहीं मान जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को न्यून करता है या उसे छीनता है या कम करता है और ऐसी घोषणा वाला कोई भी कानून जिस में यह घोषणा हो कि वह ऐसी नीति को प्रभावी बनाने के लिए है, किसी भी अदालत में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता है; बशर्ते कि जहाँ ऐसी विधि जो किसी राज्य के विधायिका के द्वारा बनाई जाती है, वहाँ इस अनुच्छेद का प्रावधान तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसी विधि, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होने के बाद, संवैधानिक उपचारों के लिए उसकी सहमति प्राप्त नहीं कर लेती।"

42. विशेष रूप से न केवल देश में बल्कि बड़े पैमाने पर हुए परिवर्तनों के संदर्भ में एम.आर.टी.पी. अधिनियम का कार्य अपर्याप्त पाया गया।

43. राघवन समिति के नाम से जानी जाने वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने इन मुद्दों पर विचार किया। अन्य बातों के होते हुए जो कहा गया है वह रिपोर्ट इस प्रकार है- "प्रतिस्पर्धा नीति का उद्देश्य दक्षता को बढ़ावा देना और अधिकतम कल्याण करना है। इस संदर्भ में, कल्याण की उपयुक्त परिभाषा उपभोक्ता, अधिशेष और उत्पादक अधिशेष का योग है और इसमें सरकार द्वारा एकत्र किए गए कोई भी कर शामिल हैं। "(पैराग्राफ-2.1.1 देखें)

हम निम्नलिखित टिप्पणियों को भी देखते हैं-

"2.1.1 प्रतिस्पर्धा नीति को "उन सरकारी उपायों के रूप में परिभाषित किया गया है जो उद्यमों के आचरण और उद्योग की संरचना को सीधे प्रभावित करते हैं" (खेमानी, आर. एस. और मार्क ए. डट्ज़, 1996)। प्रतिस्पर्धा नीति का उद्देश्य दक्षता को बढ़ावा देना और अधिकतम कल्याण करना है। इस संदर्भ में कल्याण की उचित परिभाषा उपभोक्ताओं के अधिशेष और उत्पादकों के अधिशेष का योग है और इसमें सरकार द्वारा एकत्र किए गए कोई भी कर शामिल हैं। 1 [1] यह सर्वविदित है कि प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति में, कल्याण का अधिकतम आवंटन दक्षता का पर्याय है। आम तौर पर 'कर' कल्याण को कम करनेवाले होते हैं।"

44. 1991 में जो सुधार शुरू किए गए और सार्वजनिक क्षेत्रों में जिस प्रकार उनका उपयोग किया गया इसका उल्लेख इस प्रकार है -

"2.6.4 सार्वजनिक क्षेत्र

1991 में, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर अपने एकाधिकार को समाप्त कर दिया सिवाय उन उद्योगों के, जहां सुरक्षा और रणनीतिक चिंताएं अभी भी प्रमुख हैं, इन उद्योगों में हथियार, गोला-बारूद और संबद्ध रक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा और परमाणु खनिज और रेलवे परिवहन शामिल हैं। लोहा और इस्पात, भारी विद्युत उपकरण, विमान, हवाई परिवहन, जहाज निर्माण, दूरसंचार उपकरण और विद्युत ऊर्जा सहित प्रमुख उद्योग अब निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खोल दिए गए। घाटे में चल रहे सार्वजनिक उद्योगों का नाम बड़ी संख्या में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) को भेजा गया। अनिवार्यतः यहाँ दो अलग-अलग प्रकार के सुधारों की परिकल्पना की गई थी- सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग के लिए अधिकतम स्वायत्तता और निजी क्षेत्र का अधिकतम स्वामित्व।"

45. हम अगले पैराग्राफ- 2.8.5. को देख सकते हैं-

"2.8.5 काफी हद तक सार्वजनिक क्षेत्र में निजीकरण की आवश्यकता वित्तीय विचारों की उपज है। आर्थिक दक्षता और प्रतिस्पर्धा नीति की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक क्षेत्र एकाधिकार की शक्ति का लुप्त न उठायें, यह बाजार अनुशासन का विषय है और इसे प्रतिस्पर्धा द्वारा ही लाया जा सकता है। हाल के वर्षों में जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र काम कर रहा था, उनमें से अधिकांश को निजी क्षेत्र के प्रवेश के लिए खोल दिया गया है। हालाँकि, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, सरकारी खरीद में सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता दी जाती है। हमारा यह मानना है

सार्वजनिक क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा का सामना करना चाहिए और अलग से तरजीह नहीं दिया जाना चाहिए।"

46. राज्य एकाधिकार नीति को पैराग्राफ- 3.4.5 और 3.4.6 के तहत देखा जा सकता है जो इस प्रकार हैं-

"3.4.5 राजकीय एकाधिकार नीति ना केवल यथार्थ है बल्कि कई देशों में सार्वजनिक विकास और सार्वजनिक हित के अपरिहार्य साधन के रूप में सम्मानित है। यद्यपि विचारधारा ने राज्य एकाधिकार के प्रोत्साहन में मुख्य भूमिका निभाई है, लेकिन इससे भी ज्यादा इस तरह के विकास में उन प्रचलित मान्यताओं के व्यवहारिक प्रतिक्रिया का योगदान है जिसका जन्म विभिन्न देशों के बीते हुए अतीत का प्रतिफल है। कई लोगों का यह साझा विचार है कि क भारत में राज्य एकाधिकार की नीति और सरकारी उद्योगों ने इसके विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संकटपूर्ण कोर क्षेत्रों में ढाचागत स्वरूप के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया है। फिर भी, प्रतिकूल वित्तीय परिणामों की वजह से ऐसे उद्योगों में सरकार को अपने सरकारी खजाने से अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था कर वित्तीय सहायता देकर इनमें जान डालनी पड़ती है , सर्वविदित है कि न केवल इनमें सुधार की आवश्यकता है, बल्कि संरचनात्मक और परिचालन सुधारों की भी गुंजाइश है। इस मान्यता ने उनमें से कुछ के निजीकरण की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। यह उदारीकरण और विनियमन की सामान्य प्रक्रिया का भी एक हिस्सा है। निजीकरण में न केवल सरकारी परिसंपत्तियों का विनिवेश और बिक्री शामिल है, बल्कि उनके हस्तक्षेपवादी भूमिका में भी धीरे-धीरे गिरावट आती है।

3. 4. 6 राज्य एकाधिकार के कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जो आधुनिक प्रतिस्पर्धा नीति की योजना के विरोधी भी हो सकते हैं। वे इस रूप में हो सकते हैं-

क. सरकारी संरक्षण और समर्थन के कारण राज्य एकाधिकार प्राप्त प्रमुख शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है।

ख. उक्त संरक्षण के कारण, राज्य एकाधिकार ऐसी नीतियों को अपना सकते हैं जो प्रतिबंधित व्यापार प्रथाओं के समान हैं। उदाहरण के लिए- निविदाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को वरीयता और नीलामी की बोलियों में सरकार से प्रतिपूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं का उपयोग करने पर जोर (सरकारी अधिकारियों के लिए यात्रा भत्ता)।

ग. राज्य एकाधिकार प्रतिस्पर्धा नीति की भावना के विपरीत, प्रशासकिय कीमत योजना से प्रभावित है ।"

47. पैराग्राफ- 3.4.7, में, यह कहा गया है कि उपभोक्ता के हित अन्य बातों के साथ साथ राज्य एकाधिकार और सार्वजनिक उद्यमों को वस्तुओं के उत्पादन और सेवा वितरण अन्य बातों के साथ साथ प्रतिस्पर्धी होने की आवश्यकता है। इसके बाद यह कहा गया है:

"3.4.7, यह सर्वविदित है कि प्रतिस्पर्धा, राज्य एकाधिकार और सार्वजनिक उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार की कुंजी है। अक्सर सरकारी उद्यमों में देखी जाने वाली क्षमताहीनता प्रतिस्पर्धा से अलगाव का (अहरोनी, यायर, 1986) परिणाम है। उपभोक्ताओं के हित के लिए , राज्य एकाधिकार और सार्वजनिक उद्यमों को, उत्पादन और सेवा वितरण में प्रतिस्पर्धी होने की आवश्यकता है।

जबकि सरकार को व्यापक राष्ट्रीय हित के लिए कुछ चुनिंदा सार्वजनिक उद्यमों को वैधानिक एकाधिकार का दर्जा का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए, सरकार को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वैधानिक एकाधिकार के विनियमन और निजीकरण से प्रतिस्पर्धा पैदा होने की संभावना है जो बाजार और उपभोक्ताओं के लिए स्वस्थ होगी।"

48. पैराग्राफ - 3. 5 .2, के निहित सारांश में हम केवल निम्नलिखित पर ध्यान देते हैं:

"3.5.2 सारांश

XXX

XXX

XXX

6. सरकार को राज्य के एकाधिकार और सार्वजनिक उद्यमों में अपने शेयरों और परिसंपत्तियों का विनिवेश करना चाहिए। रक्षा और सुरक्षा वाले क्षेत्रों और संप्रभु कार्यों को पूरा करने वाले क्षेत्रों के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों में उनका निजीकरण करना चाहिए। सभी राज्य एकाधिकार और सार्वजनिक उद्यम प्रतिस्पर्धा नीति की निगरानी में हों ताकि उनकी ओर से एकाधिकार, प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोका जा सके।"

49. शीर्षक के तहत, प्रतिस्पर्धा नीति की रूपरेखा, पैराग्राफ- 4.2.2 में और 4.2.4, पर हम ध्यान देते हैं:

"4.2.2 विस्तार

राज्य एकाधिकार और सरकारी खरीद। कई देशों में सरकारी उद्यमों को प्रतिस्पर्धा कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।

स्वायत्त कार्यों में लगी सरकारी संस्थाओं को छोड़कर, इस तरह के अपवर्जन के लिए कोई वैध औचित्य नहीं है और अन्य सभी सरकारी उद्यम कानून के दायरे में होने चाहिए।

4.2.4 इसी तर्क से, किसी भी स्वायत्त कार्य को (जैसे रक्षा, कानून और व्यवस्था, मुद्रा कार्य) में लगे सरकारी उद्यमों और विभागों को प्रतिस्पर्धा कानून की कठोरता के अधीन नहीं किया जा सकता है।"

(जोर दिया गया)

50. पैराग्राफ- 4.4.7, में, हम निम्नलिखित को देखते हैं:

"4.4.7. यह आकलन करने से पहले कि कौन सा उपक्रम प्रमुख है, एक क्षैतिज अनुबंध के तहत यह निर्धारित करना आवश्यक है कि, सुसंगत बाजार क्या है। इसके दो आयाम हैं- उत्पाद बाजार और भौगोलिक बाजार। मांग पक्ष की तरफ से ; सुसंगत उत्पाद बाजार में वे सभी विकल्प शामिल हैं जिन पर उपभोक्ता स्विच करेगा यदि जांच पर ऐसा पाया जाये कि संबंधित उत्पाद की कीमत बढ़नी है । आपूर्ति पक्ष की तरफ से- इसमें वे सभी उत्पादक शामिल होंगे जो अपनी मौजूदा सुविधाओं के साथ ऐसी ही वैकल्पिक वस्तुओं के उत्पादन की ओर रुख कर सकते हैं। संबंधित बाजार की भौगोलिक सीमाओं को भी इसी तरह परिभाषित किया जा सकता है। भौगोलिक आयाम में उस भौगोलिक क्षेत्र की पहचान शामिल है जिसके भीतर प्रतिस्पर्धा होती है, सुसंगत भौगोलिक बाजार स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या कभी-कभी वैश्विक भी हो सकते हैं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर है। कुछ कारक जो भौगोलिक आयाम से संबंधित हैं वे हैं उपभोग और शिपमेंट पैटर्न, परिवहन लागत,

खराब होने की क्षमता और आस-पास के भौगोलिक क्षेत्रों के बीच उत्पादों के शिपमेंट में बाधाओं का होना। उदाहरण के लिए, सीमेंट में उच्च परिवहन लागत को देखते हुए, सुसंगत भौगोलिक बाजार; विनिर्माण सुविधा के करीब का क्षेत्र हो सकता है।"

51. सारांश में, हम पैराग्राफ- 4.8.8, देख सकते हैं। इसमें कहा गया है-

"4.8.8. सारांश

1. राज्य एकाधिकार, सरकारी खरीद और विदेशी कंपनियाँ प्रतिस्पर्धा कानून के अधीन होनी चाहिए। कानून में उन सभी उपभोक्ताओं को शामिल किया जाना चाहिए जो वस्तु या सेवाएँ खरीदते हैं, चाहे खरीदारी किसी भी उद्देश्य के लिए की गई हो।
2. विभिन्न व्यवसायों के प्रशासकीय निकायों को अपनी स्वायत्तता और विशेषाधिकारों का उपयोग पेशे के मानक और गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए करना चाहिए न कि प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के लिए।
3. यदि वस्तुओं और सेवाओं के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बाजार तक पहुंच को रोकने के लिए बनाया गया है, तो ऐसी प्रथाओं को वर्चस्व /बहिष्करण प्रथाओं का दुरुपयोग माना जाएगा।
4. कुछ प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को अवैध माना जाना चाहिए। अस्पष्ट मूल्य, मात्रा, नीलामी बोली और क्षेत्र साझाकरण के लिए समझौतों और गुटों को अवैध माना जाना चाहिए।
5. वर्चस्व के बजाय, वर्चस्व के दुरुपयोग को अस्वीकार करने की आवश्यकता है जिसके लिए सुसंगत बाजार एक महत्वपूर्ण कारक होगा।

6. लुभावनी मूल्य निर्धारण को एक दुरुपयोग के रूप में तभी माना जाएगा जब यह एक प्रमुख उपक्रम द्वारा किया गया हो।

7. बहिष्करण व्यवहार जो नए आगंतुको के लिए बाधा पैदा करती हैं या मौजूदा प्रतियोगियों को बाजार से बाहर करने के लिए मजबूर करती हैं, ऐसे व्यवहार पर प्रतिस्पर्धा कानून का विशेष ध्यान होगा ।

8. परिसंपत्तियों के मामले में एक सीमा से अधिक विलय के लिए पूर्व-अधिसूचना की आवश्यकता होगी। यदि कोई तर्कपूर्ण आदेश नहीं है, तो 90 दिनों के भीतर विलय को प्रतिबंधित करने वाला आदेश प्राप्त हो जाता है, तो इसे माना जाना चाहिए कि मंजूरी मिल गई है। विलय का निर्णय लेने में, विलय के कारण होने वाले संभावित कार्यक्षमता नुकसान को संभावित लाभ के साथ तुलना किया जाना चाहिए।"

52. जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002 में यह अधिनियम लागू किया गया था। अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है-

"देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए तथा एक आयोग की स्थापना के लिए, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और भारत के बाजारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए गए व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए एक अधिनियम पारित किया जाना चाहिए ।"

53. अधिनियम की योजना को देखते हुए हम निम्नलिखित प्रावधानों पर ध्यान देते हैं-

54. धारा 2 (ज) 'उद्यम' शब्द को परिभाषित करती है:

"2 (ज) "उद्यम" का तात्पर्य सरकार के किसी व्यक्ति या विभाग से है, जो वस्तुओं या वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, वितरण, अधिग्रहण या नियंत्रण, या किसी भी प्रकार की सेवाओं के प्रावधान, या निवेश में, या किसी अन्य निगमित निकाय के शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के अधिग्रहण, धारण, भागीदारी या लेनदेन के व्यवसाय में, या तो प्रत्यक्ष रूप से या किसी माध्यम से, किसी गतिविधि में लगा हुआ है। "या इसकी अधिक इकाइयाँ या प्रभाग या सहायक, चाहे ऐसी इकाई या प्रभाग या सहायक उसी स्थान पर स्थित हो जहाँ उद्यम स्थित है या किसी अलग स्थान पर या विभिन्न स्थानों पर, लेकिन इसमें परमाणु ऊर्जा, मुद्रा, रक्षा और अंतरिक्ष से संबंधित केंद्र सरकार के विभागों द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों सहित सरकार के संप्रभु कार्यों से संबंधित सरकार की कोई गतिविधि शामिल नहीं है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए-

- (क) "क्रियाविधि" में पेशा या व्यवसाय शामिल है;
- (ख) "वस्तु" में नई वस्तु और "सेवा" में एक नई सेवा शामिल है;
- (ग) किसी उद्यम के संबंध में "इकाई" या "विभाग" में शामिल हैं
- (i) किसी वस्तु या माल के उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, वितरण, अधिग्रहण या नियंत्रण के लिए स्थापित एक संयंत्र या कारखाना;
- (ii) किसी भी सेवा के प्रावधान के लिए स्थापित कोई शाखा या कार्यालय;

55. खंड 2 (i) 'माल' शब्द को परिभाषित करती है-

"2 (i) "माल" से माल की बिक्री अधिनियम, 1930 (1930 का 8) में परिभाषित माल अभिप्रेत है और इसमें शामिल हैं-"

(क) निर्मित, संसाधित या खनन किए गए उत्पाद;

(ख) आवंटन के बाद डिबेंचर, स्टॉक और शेयर;

(ग) भारत में आपूर्ति, वितरण या नियंत्रित वस्तुओं के संबंध में, भारत में आयातित वस्तुएँ;

56. खंड 2 (1) 'व्यक्ति' शब्द को परिभाषित करती है:

"2 (एल) "व्यक्ति" में शामिल हैं-"

(i) एक व्यक्ति;

(ii) एक अविभाजित हिंदू परिवार;

(iii) एक कंपनी;

(iv) एक फर्म;

(v) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय, चाहे वह भारत में या भारत के बाहर निगमित हो या नहीं;

(vi) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की खंड 617 में परिभाषित किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या सरकारी कंपनी द्वारा या उसके तहत स्थापित कोई निगम;

(vii) भारत के बाहर किसी देश के कानूनों द्वारा या उसके तहत निगमित कोई भी निगमित निकाय;

(viii) सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति;

(ix) एक स्थानीय प्राधिकरण;

(x) प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है;

57. 'सुसंगत बाजार', 'सुसंगत भौगोलिक बाजार', 'सुसंगत उत्पाद बाजार' शब्द सभी को अलग-अलग परिभाषित किया गया है:

"2 (आर)" "सुसंगत बाजार" "से वह बाजार अभिप्रेत है जो आयोग द्वारा सुसंगत उत्पाद बाजार या सुसंगत भौगोलिक बाजार के संदर्भ में या दोनों बाजारों के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है;"

2 (ध) "सुसंगत भौगोलिक बाजार" से वह बाजार अभिप्रेत है जिसमें माल की आपूर्ति या सेवाओं के प्रावधान या माल या सेवाओं की मांग के लिए प्रतिस्पर्धा की शर्तें स्पष्ट रूप से पड़ोसी क्षेत्रों में प्रचलित स्थितियों के समरूप और भिन्न दोनों हो सकती हैं।

2 (न) "सुसंगत उत्पाद बाजार" का अभिप्राय से उन सभी उत्पादों या सेवाओं को शामिल करने वाले बाजार से है जिन्हें उत्पादों या सेवाओं की विशेषताओं, उनकी कीमतों और इच्छित उपयोग के कारण उपभोक्ता द्वारा विनिमेय या प्रतिस्थापन योग्य माना जाता है।

58. खंड 3 प्रतिस्पर्धा-विरोधी अनुबंधों को प्रतिबंधित करती है और उन्हें अमान्य घोषित करती है।

59. हम इस मामले में मुख्य रूप से हमारी चिंता धारा 4 से संबंधित हैं। धारा 4 प्रमुख पद के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करती है। धारा 4 इस प्रकार है-

"4. (1) कोई भी उद्यम या समूह अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत कोई उद्यम या समूह है तो उस प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग होगा यदि - -

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अन्याय या भेदभाव को बढ़ावा देता है-

(i) माल या सेवा की खरीद या बिक्री की शर्त; या

(ii) वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या बिक्री की शर्तें (लुभावनी मूल्य सहित)

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (i) में निर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या बिक्री में अनुचित या भेदभावपूर्ण शर्त और उपधारा (ii) में निर्दिष्ट वस्तुओं या सेवा की खरीद या बिक्री में भेदभावपूर्ण मूल्य (लुभावनी मूल्य सहित) में ऐसी भेदभावपूर्ण शर्तें या कीमतें शामिल नहीं होंगी जिसे प्रतिस्पर्धा को बाधित जा सके या

(ख) सीमाएँ या प्रतिबंध-(i) वस्तुओं का उत्पादन या सेवाओं का प्रावधान या उसके लिए बाजार या (ii) वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित तकनीकी या वैज्ञानिक विकास, जिससे उपभोक्ता प्रभावित हों या

(ग) ऐसा कोई कार्यव्यवहार या ऐसे किसी कार्यव्यवहार में संलिप्तता जिसके परिणामस्वरूप किसी भी तरीके से बाजार पहुँच में बाधा हो या (घ) संविदा के निष्कर्ष को स्वीकृति का विषय बनाना अनुपूरक दायित्वों वाले अन्य पक्षकारों द्वारा जिससे उनकी प्रकृति या उनके वाणिज्यिक प्रयोग ऐसे संविदाओं से कोई सम्बन्ध न हो या (घ) एक पसुसंगत बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का उपयोग अन्य प्रासंगिक बाजार में प्रवेश करने या उसकी रक्षा करने के लिए करता है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों की अभिव्यक्ति -

(क) "प्रमुख स्थिति" का अभिप्राय भारत में ऐसे सुसंगत बाजार में ऐसी मजबूत स्थिति से है जिसका लुप्त एक ऐसे उद्यम से है जो सुसंगत बाजार में उठाता है जो उसे क्षमतावान बनती -

(i) सुसंगत बाजार में प्रचलित प्रतिस्पर्धी ताकतों से स्वतंत्र होकर मुक्त रूप से काम करना या

(ii) इसके प्रतिस्पर्धियों या ग्राहकों या सुसंगत बाजार को इसके पक्ष में प्रभावित करना

(ख) "आकर्षक मूल्य " का तात्पर्य है ऐसी कम कीमत पर माल की बिक्री या सेवाओं की उपलब्धता से है जो लागत से कम हो जो वस्तुओं के उत्पादन या सेवा प्रावधान नियंत्रण से प्रेरित हो जिससे कि प्रतिस्पर्धा कम हो या प्रतिस्पर्धा की दौड़ से बाहर हो।

(ग) "समूह" का वही अर्थ होगा जो खंड 5 के स्पष्टीकरण के खंड

(ख) में दिया गया है।"

60. खंड 5 संयोजनों के विनियमन से संबंधित है। इस स्तर पर, हम केवल संक्षेप में बता सकते हैं कि कानून प्रतिस्पर्धा-विरोधी अनुबंधों और प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को भी प्रतिबंधित करता है। यह खंड 6 में बताए गए संयोजनों को भी नियंत्रित करता है। अध्याय 3 सी.सी.आई. की स्थापना से संबंधित है। खंड 9 में प्रावधान है कि अध्यक्ष सहित सी.सी.आई. के सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे।

61. धारा 8 आयोग की संरचना के बारे में बताती है। इसमें एक अध्यक्ष होने चाहिए तथा कम से कम दो और अधिक से अधिक छह अन्य सदस्य होने चाहिए।

62. धारा 8 (2) इस प्रकार है-

"8 (2) अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे और जिन्हें इस विषय में विशेषज्ञता हासिल होगी । प्रतिस्पर्धा कानून और नीति सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, कानून, वित्त, लेखा, प्रबंधन, उद्योग, सार्वजनिक मामले या प्रतिस्पर्धा मामलों में से कम पंद्रह वर्ष का ऐसा व्यावसायिक अनुभव, जो केंद्र सरकार की राय में आयोग के लिए उपयोगी हो सकता है।"

63. खंड 17 इस प्रकार है-

"17. (1) आयोग अपनी कार्यकुशलता के लिए एक सचिव और ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वह इस अधिनियम के तहत दक्ष समझता हो ।

(2) आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन-भत्ते की देयता तथा सेवा के अन्य शर्तों एवं दशाओं और ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण नियमानुसार होगा ।

(3) आयोग विनियमों द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ईमानदार और सर्वोच्च योग्यतावाले ऐसे विशेषज्ञों और पेशेवरों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें अर्थशास्त्र, कानून, व्यवसाय या प्रतिस्पर्धा से संबंधित ऐसे अन्य विषयों का विशेष ज्ञान एवं अनुभव है तथा इस अधिनियम के तहत आयोग को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए जिन्हें सक्षम समझे।

64. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कर्तव्यों को खंड 18 में वर्णित किया गया है।

यह इस प्रकार है-

"18. इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करे, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे । उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे तथा भारत के बाजारों में अन्य भागीदारों के व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करे यह भी बताया गया है कि आयोग इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए साथ केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी भी विदेशी एजेंसी के साथ कोई ज्ञापन या आयोजन कर सकता है।"

65. उपरोक्त प्रावधान अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव लाने के लिए भा.प्र.आ. के शक्ति विस्तार का संकेत देते हैं। धारा 19 आयोग के उन अनुबंधों की जांच करने का अधिकार देती है जो धारा 3 के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा-विरोधी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है धारा 19 (4) इस प्रश्न के जांच से संबंधित है कि किसी उद्यम को किस तरह एक वर्चस्वशाली स्थिति में है।

66. एक महत्वपूर्ण प्रावधान होने के कारण हम उसी पर ध्यान देते हैं।

19 (4) आयोग खंड 4 के तहत किसी उद्यम को वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त है या नहीं इसकी जाँच करते हुए निम्न बातों को ध्यान में रखेगा-

(क) उद्यम की बाजार में हिस्सेदारी;

(ख) उद्यम का आकार और उसके संसाधन;

(ग) प्रतियोगियों की संख्या और महत्व;

(घ) उद्यम की आर्थिक शक्ति और प्रतिस्पर्धियों पर उसका वाणिज्यिक लाभ

(ङ) ऐसे उद्यमों के उद्यमशिलता या बिक्री या सेवा नेटवर्क का ऊर्ध्वाधर एकीकरण;

(च) उद्यम पर उपभोक्ताओं की निर्भरता;

(छ) एकाधिकार या वर्चस्वशाली स्थिति, चाहे वह किसी विधि के कारण अर्जित की गई हो या सरकारी कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के कारण या अन्यथा;

(ज) नियामक बाधाएं, वित्तीय जोखिम, प्रवेश की उच्च पूंजी लागत, विपणन प्रवेश बाधाएं, तकनीकी प्रवेश बाधाएं, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्थापन योग्य वस्तुओं या सेवा की उच्च लागत जैसी बाधाओं सहित प्रवेश बाधाएं;

(झ) क्रय शक्ति का मुकाबला करना;

(ञ) बाजार संरचना और बाजार का आकार;

(ट) सामाजिक दायित्व और सामाजिक लागत;

(ठ) आर्थिक विकास में योगदान के माध्यम से सापेक्षिक लाभ, एक वर्चस्वशाली स्थिति का आनंद लेने वाले उद्यम द्वारा प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या पड़ने की संभावना होती है जो कि सहायनीय है ।

(ड) कोई अन्य कारक जिसे आयोग जांच के लिए प्रासंगिक मान सकता है।"

67. धारा 19 (5) घोषणा करती है कि वह इस बात के लिए प्रतिबद्ध है की बाजार एक सुसंगत बाजार का निर्माण करे ताकि इस अधिनियम के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हो सके इसके लिए, भा.प्र.आ. के पास सुसंगत भौगोलिक बाजार और सुसंगत उत्पादक बाजार होगा ।

68. धारा 19 (6) उन कारकों से संबंधित है जो सुसंगत भौगोलिक बाजार के निर्धारण के लिए प्रासंगिक हैं।

69. धारा 19 (7) उन मामलों से संबंधित है जो सुसंगत उत्पाद बाजार निर्धारित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

70. धारा 27 में ऐसे आदेशों का प्रावधान है जिन्हें भा.प्र. आ. अनुबंध या वर्चस्वशाली पद के दुरुपयोग की जांच के बाद पारित कर सकता है-

"27. जहां जांच के बाद आयोग को यदि पता चलता है कि खंड 3 में निर्दिष्ट कोई अनुबंधों या किसी प्रमुख स्थिति में किसी उद्यम की कार्य विधि, खंड 3 या खंड 4 का उल्लंघन है, तो वह निम्नलिखित सभी या किसी भी आदेश को पारित कर सकता है, अर्थात्-

(क) किसी भी उद्यम या उद्यमों के संघ या व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को, जैसा भी मामला हो, ऐसे समझौते में शामिल होने या प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए, ऐसे समझौते को बंद करने और फिर से प्रवेश नहीं करने या प्रमुख स्थिति के ऐसे दुरुपयोग को बंद करने का निर्देश दे या जैसा भी मामला हो;

(ख) ऐसे में से प्रत्येक पर, जो वह उचित समझे, ऐसा जुर्माना लगाएगा जो पिछले तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के कारोबार के औसत के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। व्यक्ति या उद्यम जो ऐसे अनुबंधों या दुरुपयोग के पक्षकार हैं-

यदि खंड 3 में निर्दिष्ट कोई समझौता किसी गुट द्वारा किया गया है, तो आयोग उस गुट में शामिल प्रत्येक उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर ऐसे अनुबंधों के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए अपने लाभ के तीन गुना या दस प्रतिशत तक का जुर्माना लगा सकता है। इस तरह के अनुबंधों के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए इसके कारोबार का या जो भी अधिक हो।

(ग) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा निरस्त कर दिया गया

(घ) यह निर्देश देगा कि अनुबंधों को आयोग द्वारा निर्दिष्ट आदेश की सीमा तक और निर्दिष्ट तरीके से संशोधित किया जाएगा।

(ङ) संबंधित उद्यम आयोग के ऐसे अन्य आदेशों का पालन करें जिसे आयोग पारित करे और उसके दिए गये निर्देशों का पालन करे साथ ही लागत का भुगतान करे यदि कोई है तो;

(च) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा निरस्त

(छ) ऐसे अन्य आदेश पारित करें या ऐसे निर्देश जारी करें जिसे वे उचित समझे।

इस खंड के तहत आदेश पारित करते समय, यदि आयोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अधिनियम की धारा 3 या धारा 4

का उल्लंघन करने वाला कोई उद्यम अधिनियम की धारा 5 के स्पष्टीकरण के धारा (ख) में परिभाषित समूह का सदस्य है, और ऐसे समूह के अन्य सदस्य भी जिम्मेदार हैं तो ऐसे उल्लंघन के लिए, या उसमें योगदान के लिए है, वह इस धारा के तहत समूह के ऐसे सदस्यों के खिलाफ आदेश पारित कर सकता है।"

71. धारा 28 वर्चस्वशाली स्थिति का आनंद ले रहे उद्यम के विभाजन का आदेश देने की शक्ति देती है।

72. भा.प्र. आ. को धारा 33 में अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति दी गई है। भा.पर.आ. धारा 36 में दी गई अपनी प्रक्रिया को विनियमित कर सकता है। धारा 41 में महानिदेशक के दायित्वों का उल्लेख है। उन्हें किसी भी विवाद की जांच करने में . भा.पर.आ. की सहायता करनी है। अधिनियम के तहत दंड पर विचार किया गया है। अधिकरण को एक अपील प्रदान की जाती है और धारा 53(न) अधिकरण के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान करती है। धारा 54 छूट देने की शक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है-

"54. छूट देने की शक्ति केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम या उसके किसी भी प्रावधान को लागू करने से छूट दे सकती है, ऐसी अवधि के लिए जो वह ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट करे -

(क) उद्यमों की कोई भी श्रेणी जिसमें इस प्रकार का छूट राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक हित में आवश्यक है;

(ख) किसी अन्य देश या देशों के साथ भारत का कोई संधि, अनुबंध या सम्मेलन के तहत या उसी अनुसार उत्पन्न कोई प्रथा या अनुबंध;

(ग) कोई भी उद्यम जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से संप्रभु कार्य करता है;

बशर्ते कि यदि कोई उद्यम सरकार के संप्रभु कार्यों से संबंधित गतिविधि सहित किसी भी गतिविधि में लगा हुआ है, तो केंद्र सरकार केवल संप्रभु कार्यों से संबंधित गतिविधि के संबंध में छूट दे सकती है।।"

"73. खंड 60 इस प्रकार है-

"60. इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे।"

74. हमें इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि अधिनियम को कोई चुनौती नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अधिनियम को वैसा ही लेना चाहिए जैसा वह है और उस एक व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए जो स्थापित सिद्धांतों के अनुसार सबसे उपयुक्त हो। दूसरे शब्दों में यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें न्यायालय को अधिनियम के अधिकारों पर निर्णय देने के लिए आमंत्रित किया गया हो।

75. कोयला एक महत्वपूर्ण और दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन बना हुआ है। इसे स्थापित करने के लिए इसके ऊपर ही निर्भरता अधिक है इसकी चीजों के अतिरिक्त कुछ अन्य की खास आवश्यकता नहीं। यह अंतिम उत्पादों के उत्पादन

के लिए यह महत्वपूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, यह एक प्रकार का ईंधन भी देता है, जिससे बिजली सयंत्रों को चलाया जाता है। निस्संदेह, एकाधिकार, राष्ट्रीयकरण अधिनियम द्वारा लाया गया था। खदानें, जो इस अधिनियम की विषय वस्तु थीं, वे अब केंद्र सरकार के अधीन थीं। पहला अपीलकर्ता एक सरकारी कंपनी है, जो राष्ट्रीयकरण अधिनियम की खंड 5 के तहत अस्तित्व में आई। अपीलकर्ता-कंपनी खदानों का संचालन करती है। इसे बिजली और कोयले के वितरण का काम सौंपा गया है। यह अनुच्छेद 39 (ख) में निहित निदेशक सिद्धांत को आकर्षित करता है। उक्त निदेशक सिद्धांत में विचार किया गया है कि 'राज्य' को अपनी नीति को इस दिशा में निर्देशित करना चाहिए कि 'भौतिक संसाधनों' का नियंत्रण और स्वामित्व को इस प्रकार सुनिश्चित किया जाए ताकि इसका 'वितरण' इस तरह किया जाए कि 'लोक कल्याण ज्यादा से ज्यादा हो'। अपीलार्थियों का तर्क आंशिक रूप से अनुच्छेद 31 (ख) के आदेश पर आधारित है, जो नौवीं अनुसूची के साथ, उस प्रविष्टि में, जिसमें अनुसूची शामिल की गई है, कानूनों को इस आधार पर अमान्य होने से रोकता है कि वे मूल अधिकारों को छीनते हैं या न्यून करते हैं। राष्ट्रीयकरण अधिनियम को नौवीं अनुसूची 60 में 10 अगस्त, 1975 को जोड़ा गया था। इस मामले में, हमें राष्ट्रीयकरण अधिनियम अंतःस्थापन के निर्णय पर बैठक बुलाने को नहीं कहा गया इस आधार पर कि यह आई.आर. कोएल्हो (उपरोक्त) में निर्धारित संविधान

की मूल ढांचा का उल्लंघन होता । इसलिए हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम को अनुच्छेद 31ख के आधार पर अलग रखा गया था। इसी तरह, हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि इसे अनुच्छेद 39 (ख) में निहित सिद्धांतों को सुरक्षित करने की दिशा में राज्य की नीति को प्रभावी बनाने वाला कानून माना जा सकता है।

76. यहां हम राष्ट्रीयकरण अधिनियम को इस आधार पर पलटने की याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं कि यह किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन है। राष्ट्रीयकरण अधिनियम केंद्र सरकार को कोयला खदानों में पट्टेदारों के अधिकार सौंपने के लिए लागू किया गया था ताकि उन्हें संचालित किया जा सके ताकि देश की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप कोयला संसाधनों का तर्कसंगत, समन्वित और वैज्ञानिक विकास और उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। प्रस्तावना स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि कानून देने वाले के मन में अनुच्छेद 39 (ख) का लक्ष्य था, अर्थात्, कोयला खदानों पर स्वामित्व प्राप्त करना ताकि खदानों से खनन किए गए कोयले को इस तरह वितरित किया जा सके कि लोक कल्याण का सर्वोत्तम वितरण सके। 1976 के अधिनियम 67 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जिसके द्वारा राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन किया गया था, ने संकेत दिया कि राष्ट्रीयकरण होने के बाद, खनन पट्टे रखने वाले व्यक्तियों ने बहुत लापरवाह और अवैज्ञानिक तरीके से अनधिकृत खनन किया और । यह नोट किया गया था श्रमिकों के संरक्षण,

सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रखे बिना ऐसा किया गया । राष्ट्र की एक मूल्यवान संपत्ति नष्ट की जा रही थी। सुरक्षा संबंधी चिंताएँ थीं। श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी देकर भारी मुनाफा कमाया जा रहा था। निजी स्वामित्व वाली इस्पात कंपनियों को छोड़कर सभी निजी स्वामित्व वाले कोयला पट्टों को राष्ट्रीयकरण अधिनियम की छत्रछाया में लाया गया। राष्ट्रीयकरण अधिनियम को 1978 के अधिनियम 22 द्वारा फिर से संशोधित किया गया। इसके बाद, इसे फिर से 1986 के अधिनियम 57 द्वारा और अंततः 1993 के अधिनियम 47 द्वारा संशोधित किया गया। कोयला खान राष्ट्रीयकरण (संशोधन) अधिनियम के प्रारंभ के साथ इस पर ध्यान देना पर्याप्त है। , 1976 29.04.1976 को, किसी भी निजी पार्टी द्वारा कोयला खनन कार्य चलाने या खनन कोयले के लिए पट्टे पर लेने पर रोक लगा दी गई थी।

77. राष्ट्रीयकरण अधिनियम की खंड 11 में विचार किया गया है कि कोयला खदान के मामलों और व्यवसाय का सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देश, नियंत्रण और प्रबंधन, जहां एक मालिक का अधिकार खंड 3 के तहत केंद्र सरकार में निहित था, खंड 5 के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के संदर्भ में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी में निहित होगा। प्रथम अपीलीय एक सरकारी कंपनी है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व में थी और धारा 5 के तहत विचार की गई कंपनी थी, इसलिए, सभी खानों का सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और प्रबंधन,

जिसका स्वामित्व केंद्र सरकार में निहित था वह सब प्रथम अपीलकर्ता के पास था। पहली अपीलकर्ता होल्डिंग कंपनी है और सहायक कंपनियाँ भी हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के संदर्भ में दिए गए इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया है। यह सच है कि उक्त अनुच्छेद, जो भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों से संबंधित है, अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य अधीक्षक, दिशा और नियंत्रण जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के अतिरिक्त सभी चुनावों के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव की व्यवस्था करता है। यह निस्संदेह सच है कि इस न्यायालय ने माना है कि 'अधीक्षकता, दिशा और नियंत्रण' शब्द, व्यापक तौर पर बाहर से आये हुए शब्द हैं। यह संवैधानिक प्रावधानों, बाध्यकारी कानूनों और निर्देशों से बहने वाली सीमाओं के अधीन है, न्यायालयों द्वारा जिन्हें जारी किया जा सकता है। यह सच है कि भारत के चुनाव आयोग को पूर्ण अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि अनुच्छेद 324 सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारों में से एक से संबंधित है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यहां तक कि, अपीलकर्ताओं के अनुसार, अपीलकर्ता राष्ट्रीयकृत खानों के मामलों के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और प्रबंधन में राष्ट्रपति के निर्देशों और मौजूदा नीति के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए, पूरी तरह से अनुच्छेद 324 के

तहत भारत के चुनाव आयोग के पास निहित शक्तियों के समान शक्ति का वर्णन करना उचित नहीं होगा। हालाँकि, हम इस बात से सहमत हैं कि ऐसे निर्देशों और नीतिगत विचार के अधीन, अपीलकर्ताओं के पास बड़ी मात्रा में शक्तियाँ हैं। हालाँकि, अपीलकर्ता उन कानूनों के क्रियान्वयन से छूट की मांग नहीं कर सकते हैं, जो अन्यथा उन्हें बांधते हैं। दरअसल, श्री के.के. वेणुगोपाल ने बार में कहा कि अपीलकर्ता उन कानूनों के क्रियान्वयन से अछूते नहीं हैं, जो अन्यथा लागू होंगे।

78. हालाँकि, अपवाद को अपीलकर्ताओं द्वारा अधिनियम की प्रयोजन के लिए लिया जाता है। यह आपत्ति विसंगतियों और परिणामी विसंगत परिणामों पर आधारित है, जो अपीलार्थियों पर लागू किए जा रहे अधिनियम से उत्पन्न होगी। हम पैराग्राफ-10-12 में विभिन्न कथित विसंगतियों को पहले ही उजागर कर चुके हैं।

79. अपीलार्थियों की शिकायतों से निपटने के लिए आगे बढ़ने से पहले, हमें यह पता लगाने के लिए अधिनियम का एक सर्वेक्षण करना चाहिए कि क्या अधिनियम, किसी भी तरह से, अपीलार्थियों के मामले को आगे बढ़ाता है। यह अधिनियम वर्ष 2002 में बनाया गया था और यह पहले से मौजूद अधिनियम नहीं था। जब राष्ट्रीय अधिनियम बनाया गया था, तो अधिनियम की योजना के केंद्र में अभिव्यक्ति 'उद्यम' है, जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (ज) में परिभाषित किया गया है। आइए इसे डिकोड करते हैं, 'उद्यम' को एक व्यक्ति या सरकार के

एक विभाग के रूप में परिभाषित किया गया है। आइए यहां एक पल के लिए रुकें। धारा 2(1) में 'व्यक्ति' शब्द को एक कंपनी, किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय या सरकारी कंपनी द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम सहित परिभाषित किया गया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित किया गया है। हमें और अधिक साबित करने की आवश्यकता है। अपीलकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ के तहत एक सरकारी कंपनी है। इसलिए, अपीलकर्ता धारा 2 (ज) के अर्थ के अंतर्गत एक व्यक्ति है। धारा 2 (ज) का अगला भाग इस बात पर विचार करता है कि व्यक्ति एक है, 'कौन' या 'कौन है'। एक कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते, उपयुक्त शब्द 'कौन सा' है। इसलिए, पहला अपीलकर्ता एक व्यक्ति है, जो किसी गतिविधि में लगा हुआ है या लगा रहा है। गतिविधि को वस्तुओं या वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, वितरण, अधिग्रहण या नियंत्रण से संबंधित होना चाहिए। धारा 2 (ज) के तहत समान रूप से एक उद्यम हो सकता है, यदि गतिविधि अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी प्रकार की सेवाओं के प्रावधान से संबंधित है। हमें धारा 2 (ज) के दूसरे भाग की विस्तृत चौड़ाई से निपटने की आवश्यकता नहीं है। 'माल' शब्द को धारा 2(i) में माल के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसा कि माल की बिक्री अधिनियम, 1930 में परिभाषित किया गया है और इसमें निर्मित, खनन से संसाधित उत्पाद शामिल हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं हो सकता कि अपीलकर्ता एक व्यक्ति है, जो माल के

उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, वितरण और नियंत्रण से संबंधित गतिविधियों में लगा हुआ है, जैसा कि कैट में परिभाषित किया गया है। धारा 2(ज) में प्रयुक्त व्यापक शब्दों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रदान की जा सकने वाली सेवाओं के संबंध में धारा 2(ज) के दायरे में भी आ सकता है।

80. उल्लेखनीय है कि कानून-निर्माता ने इस बात का ध्यान रखा है कि सरकार के अलग-अलग विभाग भी 'उद्यम' शब्द के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल हों।

चीजें अधिक स्पष्ट नहीं हो सकीं, सरकार की एकमात्र गतिविधि, जिसे धारा 2(ज) के दायरे से बाहर रखा गया है और इसलिए, 'उद्यम' शब्द की परिभाषा सरकार के संप्रभु कार्यों से संबंधित कोई भी गतिविधि है। संप्रभु कार्यों में, निस्संदेह, परमाणु ऊर्जा, मुद्रा, रक्षा और अंतरिक्ष से संबंधित केंद्र सरकार के विभागों द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियाँ शामिल होंगी।

81. जैसा कि हमने एक विशेष प्रश्न के उत्तर में पहले ही नोट किया है अपीलकर्ता कोई स्वायत्त कार्य कर रहे हैं या नहीं, श्री के. के. वेणुगोपाल और श्री यमन वर्मा दोनों का तर्क होगा कि वे किसी तरह स्वायत्त कार्य को कार्यों को नहीं कर रहे हैं । इससे न्यायालय को परि चर्चा से राहत मिलती है, जो कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक भी हो सकती है। पहला अपीलकर्ता सरकारी विभाग नहीं है। यह एक सरकारी कंपनी है। वास्तव में, जो 'उद्यम' को परिभाषित करते हुए इसकी अभिव्यक्ति में उस सरकारी विभाग को इसके परिभाषा से बाहर रखा गया

है, जो सरकारी कार्यों को करते हैं । खनन क्षेत्र में व्यवसाय को एक संप्रभु कार्य के रूप में वर्णित करना कल्पना से परे है। परिभाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य के एकाधिकार को बाहर करता है और जिसे संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी स्थापित किया गया है।

82. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस अधिनियम का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को रोकना और इस तरह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। यह प्रमुख पद के दुरुपयोग को भी प्रतिबंधित करता है। हालाँकि, किसी उद्यम या समूह द्वारा प्रमुख पद का दुरुपयोग जो वर्जित है । एक समूह को धारा 5 के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जो संयोजन के विनियमन से संबंधित है। हम पाते हैं कि अपीलकर्ता उद्यम के ब्यौरे से संबंधित उत्तर देता है जैसा कि परिभाषित किया गया है ।

83. जब प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों से संबंधित धारा 3 की बात आती है तो इसमें न केवल उद्यमों या उद्यमों के संघों द्वारा बल्कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ द्वारा ऐसे समझौतों का निषेध शामिल है।

84. प्रमुख पद के दुरुपयोग से निपटने के लिए धारा 4 (1) में घोषणा की गई है कि कोई भी उद्यम या समूह अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग नहीं करेगा। प्रमुख स्थिति क्या है? धारा 4(2) में दूसरा स्पष्टीकरण धारा 4 के प्रयोजनों के लिए उस प्रमुख स्थिति को परिभाषित करता है 'भारत में प्रासंगिक बाजार में एक उद्यम द्वारा

प्राप्त ताकत की स्थिति'। दूसरा स्पष्टीकरण धारा 4 (2) में है यह धारा 4 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रमुख स्थिति वह है जिसमें ' शक्ति की वह स्थिति जिसका लुप्त भारत के सुसंगत बाजार में एक उद्यम के द्वारा उठाया जाता है । धारा 2 (द) में प्रासंगिक बाजार को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "वह बाजार जिसे भा.प्र.आ. द्वारा सुसंगत उत्पाद बाजार या सुसंगत भौगोलिक बाजार या दोनों बाजारों के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है। "सुसंगत उत्पाद बाजार शब्दों को धारा 2 (न) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक बाजार जिसमें वे सभी वस्तु या सेवाएं शामिल हैं जिन्हें ग्राहकों के द्वारा इन उत्पादों या सेवाओं की विशेषताओं,उनकी कीमतों और इच्छित उपयोग के कारण विनिमेय या प्रतिस्थापन योग्य माना जाता है"।

खंड 2 (ध) 'सुसंगत भौगोलिक बाजार' को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है "एक ऐसा बाजार जिसमें माल की आपूर्ति या सेवाओं के प्रावधान या वस्तुओं या सेवाओं की मांग के लिए प्रतिस्पर्धा की स्थितियां स्पष्ट रूप में समरूप हैं और जिन्हें पड़ोसी क्षेत्रों के उपस्थित दशाओं से अलग किया जा सकता है। इस प्रकार, कानून निर्माता ने एक उद्यम को शक्ति का जो लाभ दिया है वह निर्वात में नहीं है। यह किसी भी विषयपरक मानदंडों पर आधारित नहीं है। वर्चस्वशाली स्थिति के प्रश्न पर उत्तर देते हुए जैसा कि ऊपर कहा गया है सावधानीपूर्वक सोच-समझकर वस्तुनिष्ठ मानदंडों के संदर्भ में दिया जाना चाहिए। शब्द 'प्रमुख स्थिति' की

परिभाषा को आगे रखते हुए जिसका तात्पर्य संबंधित बाजार में उद्यम द्वारा प्राप्त शक्ति की उस स्थिति से है जिसमें सुसंगत भौगोलिक बाजार या सुसंगत उत्पाद बाजार या दोनों जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है यह उद्यम को अपनी शक्तिशाली स्थिति का लाभ लेने में सक्षम बनाता है जिससे मुक्त रूप से प्रतिस्पर्धी ताकतों से निपट सके जिसकी प्रबलता सुसंगत बाजार में होती है। यह पता लगाने के लिए एक और परीक्षण कि क्या उद्यम को एक प्रमुख स्थिति में होने का लाभ मिल रहा है इसमें यह भी पता लगाना है की कथित स्थिति का संदर्भ के साथ उस क्षमता का उल्लेख जिसमें , "अपने प्रतिस्पर्धियों या उपभोक्ता या संबंधित बाजार को अपने पक्ष में प्रभावित करने की क्षमता का पता लगाना है।

85. अधिनियम प्रमुख स्थिति का पता लगाने की विधि पर ध्यान देता है। धारा 19 (4) उन कारकों को सूचीबद्ध करती है जिन पर विचार किया जाना चाहिए। हमने अनुच्छेद-66 में धारा 19 (4) का उल्लेख किया है।

86. भा.प्र.आ. उन कारकों को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है जिनका संकेत दिया गया है। वास्तव में, धारा 19 (4) भा.प्र.आ. को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए "सभी" या "कोई भी" कारकों को ध्यान में रखने का अधिकार देती है कि एक उद्यम एक प्रमुख स्थिति का लाभ लेता है या नहीं। इसका मतलब क्या यह नहीं है कि "कोई भी" कारक होने के कारण भी यह पता लगाने के लिए आधार बन सकता है कि किसी उद्यम का प्रभुत्व है या नहीं? हम सोचेंगे कि किसी मामले

में जवाब सकारात्मक होगा। तथ्यों के करीब हम पाते हैं कि धारा 19 (4) (छ) घोषणा करती है कि "एकाधिकार" या "प्रमुख स्थिति", चाहे वह अधिनियम के परिणामस्वरूप अर्जित की गई हो या सरकारी कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के कारण या अन्यथा, एक प्रासंगिक कारक होना चाहिए। हम तुरंत ध्यान देंगे कि यह एक स्पष्ट संकेत है कि सरकारी निकायों जैसे सरकारी कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या कानून के तहत एक निकाय को अधिनियम के दायरे से बाहर रखते हुए, अधिनियम निर्माता ने सरकारी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कानून के तहत अधिग्रहित निकायों को अधिनियम के दायरे में शामिल करने का अपना इरादा व्यक्त किया है। अब, हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि अपीलकर्ता का एकाधिकार है। इसके अलावा यह राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 5 के अर्थ में एक सरकारी कंपनी है। राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3, 5 और 11 की परस्पर क्रिया का उक्त अपरिहार्य प्रभाव है। धारा 19 (4) (छ) के तहत एकाधिकार की स्थिति को अनिवार्य रूप से एक प्रमुख स्थिति के लीग में माना जाता है।

87. लेकिन क्या जाँच एक एकाधिकार के विवरण का जवाब देने वाले या धारा 19 (4) (छ) के अनुरूप एक प्रमुख स्थिति रखने वाले उद्यम पर समाप्त होती है? किसी दिए गए मामले में, यह हो सकता है। दूसरी ओर, तथ्यों में, यह सीसीआई को एक बड़े हिस्से का एक हिस्सा प्रदान कर सकता है। अन्य कारक चाहे स्पष्ट

रूप से निकाले गए हों या अक्षय रूप से बड़े अवशिष्ट खंड का हिस्सा हों अर्थात् धारा 19 (4) (ड) को यह तर्क देने के लिए पेश किया जा सकता है कि वास्तव में, अपनी उपस्थिति होने के बावजूद, यह पूरी तरह से भ्रामक है। दूसरे शब्दों में, सी.सी.आई को उन सभी कारकों के बारे में संचयी दृष्टिकोण रखने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है जो किसी दिए गए मामले में प्रासंगिक हैं। वास्तव में, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल निष्पक्ष रूप से कहते हैं कि कारकों को संचयी रूप में पढ़ा जा सकता है।

88. तथ्यों में धारा 19 (4) (ट) उपयुक्त है। इसके लिए सीसीआई को सामाजिक दायित्वों और सामाजिक कारणों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। समान रूप से, हम धारा 19 (4) (ठ) को देख सकते हैं। यह आर्थिक विकास में योगदान के माध्यम से सापेक्ष लाभ की घोषणा करता है जिसका प्रतिस्पर्धा पर एक प्रासंगिक कारक होने या सराहनीय प्रभाव होने की संभावना है। जिसे हमने जानबूझकर छोड़ दिया है और अब आपूर्ति कर रहे हैं वह निम्नलिखित शब्द धारा 19 (4) (1) में पाए जाते हैं। ये शब्द उद्यम द्वारा प्रमुख स्थिति का आनंद ले रहे हैं। इसलिए, धारा 19 (4) (छ) के तहत एक प्रमुख स्थिति में पाया जाना केवल एक कारक है। हम अन्य कारकों के दायरे और प्रभाव के बारे में विस्तार से बताने का इरादा नहीं रखते हैं। यह सब व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। समान रूप से, हम केवल यह संकेत दे सकते हैं कि, विशेष रूप से, प्रतिकारी क्रय शक्ति एक प्रासंगिक

कारक होगा। धारा 26 प्रमुख स्थिति की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए धारा 19 (4) में घोषित तरीकों को नियोजित करके जाँच करने की प्रक्रिया का प्रावधान करती है। धारा 26 सीसीआई पर कार्य करने पर विचार करती है:

क. केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा संदर्भ।

ख. अधिनियम की धारा 19 के तहत दी गई जानकारी।

ग. अपनी गति पर।

89. धारा 26 में विचार किया गया है कि, ऐसी स्थितियों में, यदि सीसीआई एक राय बनाता है कि एक प्रथमदृष्टया मामला मौजूद है, तो उसे महानिदेशक को मामले की जाँच करने का निर्देश देना चाहिए। धारा 26 (2) के तहत, सीसीआई मामले को बंद कर सकता है, अगर उसे पता चलता है कि कोई प्रथमदृष्टया मामला मौजूद नहीं है। महानिदेशक अपने निष्कर्षों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। सीसीआई पक्षकारों को रिपोर्ट भेजेगा। महानिदेशक सिफारिश कर सकते हैं कि अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं है। ऐसी स्थिति में, सीसीआई उक्त रिपोर्ट पर आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करने के लिए बाध्य है। इसके बाद सीसीआई आपत्तियों पर विचार करने के बाद मामले को बंद करने का निर्णय ले सकता है या वह महानिदेशक द्वारा आगे की जाँच या आगे की जाँच का आदेश दे सकता है। सीसीआई स्वयं आगे की जाँच के साथ आगे बढ़ सकता है। धारा 26 (8) के तहत, यदि महानिदेशक की सिफारिश अधिनियम के किसी भी प्रावधान के

उल्लंघन की ओर इशारा करती है, और सीसीआई की राय है कि आगे की जाँच की जानी है, तो उसे जाँच करानी चाहिए। धारा 27 उन आदेशों के बारे में बताती है जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों और प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग के मामले में पारित किए जा सकते हैं। जिन आदेशों को पारित किया जा सकता है, उनमें प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को बंद करने का निर्देश शामिल है जैसा कि प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग के मामले में पाया जाता है। सीसीआई इसमें दिए गए प्रावधान के अनुसार जुर्माना लगा सकता है। यह समझौते में प्रत्यक्ष संशोधन का निर्देश दे सकता है। यह उद्यम को उन आदेशों का पालन करने का निर्देश भी दे सकता है जो सीसीआई द्वारा पारित किए जा सकते हैं। इसके पास किसी भी अन्य आदेश को पारित करने की अवशिष्ट शक्ति है जिसे उचित माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 28 विभाजन को दर्शाती है। धारा 31 उन आदेशों से संबंधित है जो कुछ संयोजनों पर पारित किए जा सकते हैं। अध्याय V महानिदेशक के कर्तव्य से संबंधित है। धारा 36 (2) के तहत, महानिदेशक को सीसीआई द्वारा उपलब्ध शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। हम इस संबंध में देख सकते हैं कि धारा 36 के तहत सीसीआई को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना है और अधिनियम के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, सीसीआई के पास अपने स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्तियाँ

होनी हैं। धारा 36 (2) सीसीआई पर कुछ मामलों के संबंध में सिविल कोर्ट को निहित शक्तियाँ प्रदान करती है। धारा 36 (3) महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है:

"आयोग अपने द्वारा किसी भी जाँच के संचालन में आयोग की सहायता करने के लिए अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लेखा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या किसी अन्य विषय के ऐसे विशेषज्ञों को बुला सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।"

90. हमने पहले ही देखा है कि सीसीआई में योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति शामिल होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, कानून, वित्त, लेखा, प्रबंधन, उद्योग, सार्वजनिक मामले या प्रतिस्पर्धा कानून और नीति सहित प्रतिस्पर्धा मामलों में विशेष ज्ञान और कम से कम 15 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव होता है। हम इसे इस कारण से देखते हैं कि दोनों सीसीआई की संरचना और इसे विशेषज्ञों से जानकारी लेने में सक्षम बनाने से न्यायालय को यह आश्चस्त करने में काफी मदद मिलेगी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया सूक्ष्म, निष्पक्ष और जानकारीपूर्ण होगी। न्यायाधिकरण में अपील करने और आगे उच्चतम न्यायालय में अपील करने का भी प्रावधान है।

91. जैसा कि अधिनियम की धारा 19 के साथ पठित धारा 4 के तहत कार्यवाही के मामले में, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया है, प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग के मामले में, तीन चरण हैं। धारा 5 के तहत परिभाषित एक उद्यम या एक समूह होना चाहिए। एक बार जब ऐसा पाया जाता है, तो यह पूछताछ

अवश्य की जानी चाहिए कि क्या उक्त उद्यम या समूह को एक प्रमुख स्थिति प्राप्त है। हमने समझाया है कि धारा 19 (4) और धारा 4 की दूसरी व्याख्या की सहायता से इसे कैसे पाया जा सकता है। जब यह पाया जाता है कि एक उद्यम या समूह है जो एक प्रमुख स्थिति का आनंद लेता है, तो मामला तीसरे चरण में आगे बढ़ता है। इस स्तर पर, सीसीआई को उचित मामले में जाँच करनी होगी कि क्या उद्यम या समूह द्वारा प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग किया गया है। तीसरे चरण को अधिनियम की धारा 4 (2) द्वारा अपनाया गया है। धारा 4 (2) के तहत, कानून-दाता ने कुछ कार्यों या चूक को प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग घोषित किया है। हम पहले ही प्रावधान निकाल चुके हैं। जबकि धारा 4 पर, हमने सवाल उठाया कि क्या धारा 4 (2), जो घोषित करती है कि प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग होगा, यदि तथ्य खंड (क) से (ड) को आकर्षित करते हैं, एक जीनस की प्रजाति है, जो जीनस धारा 4 (1) में निहित है। दूसरे शब्दों में, क्या धारा 4 (2), धारा 4 (1) के तहत प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग का संपूर्ण निषेध है या क्या यह केवल इस बात का उदाहरण है कि प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग क्या हो सकता है? विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत करेंगे कि इस मामले के तथ्यों में इस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। हम उनके अनुरोध से सहमत हैं।

92. धारा 4 (2) में अनिवार्य रूप से घोषित प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग से निपटने के लिए, यदि हम धारा 4 (2) (क) लेते हैं, तो यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष

रूप से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद या बिक्री में अनुचित या भेदभावपूर्ण शर्त लगाने से मना करता है। इसी तरह यह वस्तुओं या सेवाओं की लुभावनी कीमत सहित खरीद या बिक्री में अनुचित या भेदभावपूर्ण मूल्य लगाने से भी मना करता है। स्पष्टीकरण दर्शाता करता है कि भेदभावपूर्ण स्थितियाँ या मूल्य, जिन्हें प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अपनाया जा सकता है, शरारत के दायरे में नहीं हैं। इसके बाद, धारा 4 (2) (ख) के तहत, कानून-दाता ने घोषणा की है कि किसी उद्यम या समूह द्वारा एक प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग होगा यदि वह वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं के प्रावधान या उसके लिए बाजार को सीमित या प्रतिबंधित करता है।

93. अपीलकर्ता सरकारी कंपनियाँ हैं। इन्हें राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 और 5 के संदर्भ में अस्तित्व में लाया गया था। निस्संदेह, इन्हें खदानों के नियंत्रण और प्रबंधन के मामले में केंद्र सरकार की जगह लेने के लिए बनाया गया था। इससे आगे, और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) के लक्ष्यों को प्राप्त करना था। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम में कोयले को एक भौतिक संसाधन माना गया था और इसे वितरित किया जाना था ताकि लोकहित किया जा सके। खदानों के संबंध में अनन्य अधिकार और खदानों के प्रबंधन और पर्यवेक्षण की शक्ति भी पहली अपीलकर्ता कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के पास निहित थी। परिधि

शक्ति निर्विवाद रूप से व्यापक है। हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि अपीलकर्ता निर्देशक सिद्धांत में उत्कृष्ट लक्ष्य, अर्थात् वितरण को ध्यान में रखने के अपने कर्तव्य से अनजान नहीं हो सकते हैं ताकि 'लोकहित' की रक्षा की जा सके। हम आगे इस बात पर सहमत हैं कि संविधान के भाग IV के उद्देश्य के लिए राज्य अभिव्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 36 के संबंध में भाग III में निहित अनुच्छेद 12 में इसके अर्थ के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। अपीलकर्ता अध्याय IV के प्रयोजन के लिए राज्य के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं यदि यह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की आवश्यकता को पूरा करता है। हम इस संबंध में अपीलकर्ताओं के इस तर्क को ध्यान में रखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में अपीलकर्ता के खिलाफ एक पक्ष के लिए एक उपाय खुला है। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं का भी, भले ही अपीलकर्ता सरकारी कंपनियां हों, लेकिन राज्य होने के नाते, यह कर्तव्य है कि वे अनुच्छेद 39 (ख) के लक्ष्य को अपने दिमाग में सबसे ऊपर रखें। तर्क यह है कि इस तरह के कर्तव्य और अधिनियम की धारा 4 (2) के अधिदेश के बीच एक अपरिवर्तनीय संघर्ष को स्वीकार करने की आवश्यकता होगी। अधिक विशिष्ट रूप से, तर्क यह है कि अपीलकर्ताओं को कोयले के संबंध में भारत सरकार की नीति का पालन करना होगा, चाहे वह मूल्य निर्धारण का मामला हो या कोई अन्य मामला। बंदी कोयला उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विभेदक मूल्य निर्धारण का सहारा लेने की

आवश्यकता हो सकती है। यदि इसे धारा 4 (2) (क) के अर्थ में भेदभावपूर्ण या अनुचित माना जाना है, तो सवाल यह उठता है कि अपीलकर्ता कंपनी, जो राष्ट्रीयकरण अधिनियम की उपज है, उसी के तहत एकाधिकारवादी है और अनुच्छेद 39 (ख) के जनादेश का पालन करने के लिए बाध्य है, अपने निस्संदेह लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकती है या कानून के तहत अपने निर्विवाद कर्तव्य का पालन कर सकती है। प्रत्यर्थियों का उत्तर है कि प्रश्न अमूर्त रूप में उठाए जा रहे हैं। यह अधिनियम सभी कानूनों की अवहेलना करता है जो अधिनियम के साथ असंगत हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि जहां तक राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुपालन से संबंधित प्रश्न का संबंध है, यदि राष्ट्रपति के निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाता है, तो यह पारित हो सकता है। वास्तव में, श्री मातृगुप्त मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता, इंगित करेंगे कि यह उनकी शिकायत है कि अपीलकर्ता राष्ट्रपति के निर्देशों का भी पालन नहीं कर रहा है। प्रत्यर्थियों का कहना है कि बिना तथ्यों के आधार पर सवाल हवा में उठाए जा रहे हैं। इसके बाद, कोयले जैसे खनिज के उत्पादन पर प्रतिबंध या सीमा लगाने की बात आती है, तो सार्वजनिक विश्वास और अंतर-पीढ़ीगत समानता जैसे सिद्धांत आते हैं।

94. राज्य और उसकी एजेंसियों को महत्वपूर्ण संसाधनों के उत्पादन पर रोक लगानी पड़ सकती है यदि वे अक्षय नहीं हैं। एक सवाल उठाया जा सकता है कि यदि अपीलकर्ताओं द्वारा एक प्रामाणिक निर्णय लिया जाता है कि 'वध खनन' से

बचना चाहिए जो भविष्य के लिए बहुत कम छोड़ता है, तो क्या यह अधिनियम की धारा 4 (2) (ख) का उल्लंघन होगा? अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि राज्य के रूप में, अनुच्छेद 39 (ख) में निहित लोकहित के आदेश के लिए पिछड़े क्षेत्रों के हित को बढ़ावा देने के लिए इसकी आवश्यकता हो सकती है। यह सवाल उठाया गया है कि क्या यह अन्याय या भेदभाव के रंग से रहित है, जो अधिनियम के लिए अभिशाप है।

95. हम राघवन समिति की रिपोर्ट पर पहले ही ध्यान दे चुके हैं। हमने अधिनियम की योजना का भी अवलोकन किया है। हमने राष्ट्रीयकरण अधिनियम से उत्पन्न होने वाले परिणामों को समाप्त कर दिया है। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के समय देश की आर्थिक स्थिति अलग-अलग समय पर अपनी स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। प्रारंभिक चरणों में, स्पष्ट कारणों से, विशेष रूप से, राज्य को अर्थव्यवस्था का प्रमुख संचालक बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य द्वारा भारी निवेश करना पड़ा। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ राज्य के लिए अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने का हथियार बन गईं, जिसमें शुरूआती समय में, अपेक्षित ढाँचे का निर्माण शामिल था। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने एक से अधिक भूमिकाएँ निभाईं। न केवल वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयाँ थीं, बल्कि उन पर रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य का भी बोझ था। राज्य की आर्थिक नीति का एक विशिष्ट समाजवादी स्वाद था। इसमें कोई संदेह नहीं कि पंचवर्षीय

योजनाओं के तहत मिश्रित अर्थव्यवस्था पर विचार किया गया था। अर्थव्यवस्था अत्यधिक विनियमित थी। शायद अत्यंत आवश्यकता के कारण, कराधान को उच्च स्तर पर बनाए रखना पड़ा। नन्हे से अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे बढ़ी। जैसे-जैसे राष्ट्र का विकास हुआ, स्वाभाविक रूप से उसके लोगों की आकांक्षाओं का भी विस्तार हुआ। किसी राष्ट्र के आर्थिक जीवन को कभी भी एकांत में नहीं देखा जा सकता है। विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति में बदलाव से कोई भी राष्ट्र अप्रभावित नहीं रह सकता है। नीतियाँ, जो एक निश्चित समय के लिए उपयुक्त हों, पत्थर की लकीर नहीं होती हैं। प्रत्येक पीढ़ी के लोगों का उन आर्थिक नीतियों पर फिर से विचार करने का अधिकार और कर्तव्य है, जिन्हें अतीत में समर्थन मिला था। वर्तमान भावी पीढ़ी को जंजीरों में नहीं बाँध सकता है। समान रूप से, अतीत वर्तमान को उन विचारों का बंधक नहीं बना सकता है जो बाद में उन विचारों में बदल जाएंगे जो कभी मौलिक थे और हठधर्मिता में उपयुक्त थे और अब लोगों की सेवा नहीं कर सकते हैं।

96. बेंथमाइट अर्थ में अनुच्छेद 39 (ख) में 'लोकहित' अभिव्यक्ति में अधिकतम संख्या में लोगों की अधिकतम भलाई प्राप्त करना शामिल है। 'लोकहित' शब्द का अर्थ समय, महसूस की गई आवश्यकताओं, भविष्य में राष्ट्र किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, विभिन्न वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, कानून और मूल अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों पर भी निर्भर हो सकता है। जहाँ तक लोकहित की

समय निर्धारित सामग्री की बात है, इसका सीधा सा अर्थ है कि 'अर्थशास्त्र' स्वयं जंजीरों में बंधा नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील अवधारणा है। लोकहित की प्राप्ति एक पीढ़ी की सराहना और समझ पर निर्भर होगी कि आर्थिक लोकहित को सर्वोत्तम तरीके से कैसे प्राप्त किया जाता है। निजी उद्यम और प्रतिस्पर्धा को कमजोर करने वाली आर्थिक नीति में राज्य के हस्तक्षेप की नीति अपनाने के फायदे और नुकसान की बहस लगभग समाप्त हो गई है। राष्ट्र ने निर्भीक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के लाभ को समझा है। इसकी एक पृष्ठभूमि है। वर्ष 1991 में, राष्ट्र अपने विदेशी मुद्रा भंडार की अनिश्चित स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी आर्थिक नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर था। परमिट राज, जिसमें राज्य द्वारा अपनी सभी सहायक बुराइयों के साथ आर्थिक गतिविधियों का तीव्र विनियमन शामिल था, ने सुधारों की मांग की। 1991 में अनेक अत्यधिक उदारवादी सुधारों ने राष्ट्र में एक आदर्श बदलाव के लिए मंच तैयार किया। जैसा कि राघवन समिति की रिपोर्ट में चर्चा की गई है, चीजें तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ीं। अधिनियम एक ऐसा उपाय है जिसका उद्देश्य इसे प्राप्त करना है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लिए जिस भूमिका की परिकल्पना की गई थी, वह उन्हें अपनी उपयोगिता को कम करने या अपनी विशिष्ट स्थिति का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकती थी। उचित तरीके से किए गए विनिवेश को एक समाधान के रूप में देखा गया। हालांकि, विनिवेश के बिना, राज्य एकाधिकार, सार्वजनिक

क्षेत्र की कंपनियों और सरकारी कंपनियों से नई आर्थिक स्थिति को आत्मसात करने की उम्मीद थी। यदि राज्य एकाधिकार, सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को अधिनियम की अवहेलना करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, तो अधिनियम में व्याप्त नवीन विचार, वास्तव में गलत हो जाएगा। अब जब राष्ट्र को बने 50 से अधिक वर्ष हो गए हैं और अब यह शिशु अवस्था नहीं रही, संसद जो अपने लोगों की जरूरतों को अच्छी तरह से जानती है, ने महसूस किया कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के संपूर्ण विचार की शुरुआत करने का समय आ गया है। क्या यह कहा जा सकता है कि अधिनियम के तहत परिकल्पित मुक्त प्रतिस्पर्धा, जिसमें प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों से परिहार, प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग और संयोजनों का विनियमन शामिल है, लोकहित के खिलाफ है? सरकार के लोकतांत्रिक रूप में लोकहित की अधिकतम सेवा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही सबसे अच्छी तरह से समझी जाती है। हमें इस पूर्ण सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए कि जब संसद कानून बनाती है, तो यह माना जाता है कि उसे सभी मौजूदा कानूनों की जानकारी है। उचित रूप से व्याख्या की जाए और निष्पक्ष रूप से संचालित किया जाए, 'अधिनियम', दूसरे शब्दों में, लोकहित के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा।

97. इसलिए हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि संसद को राष्ट्रीयकरण अधिनियम के बारे में जानकारी थी। हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए

कि फरवरी, 2007 में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोयले को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया था। अधिनियम की धारा 19 (4) (छ) में प्रमुख स्थिति के अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए कानूनों के तहत बनाए गए एकाधिकार के साथ-साथ सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का स्पष्ट संदर्भ, निस्संदेह, राज्य एकाधिकार, सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को अधिनियम के दायरे में लाने के संसद के इरादे को इंगित करता है। राघवन समिति की रिपोर्ट एक अमूल्य जानकारी प्रदान करती है।

98. हम यह ध्यान में रख सकते हैं कि अधिनियम के तहत सरकारी विभाग भी 'उद्यम' पद के भीतर स्पष्ट रूप से शामिल हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संप्रभु कार्यों का निर्वहन करने वाले विभागों को बाहर रखा गया है, सरकारी विभाग राज्य होने के नाते, निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखने के लिए समान रूप से बाध्य हैं। अधिनियम में निहित कानून की कट्टरपंथी प्रकृति ने एमआरटीपी अधिनियम में निहित पूर्ववर्ती कानून से एक स्पष्ट विचलन कर दिया है। हमने एमआरटीपी अधिनियम की धारा 3 पर ध्यान दिया है, जैसा कि इसमें प्रावधान है, यह सरकारी संस्थाओं को एमआरटीपी अधिनियम की पहुंच से बचाने की मांग करती है। तथ्य यह है कि सरकारी विभाग, जो सरकार की नीतियों का पालन करते हैं, उनसे अधिनियम का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, इन दलीलों का अपीलकर्ता पर गहरा प्रभाव पड़ता है कि वे अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। इसमें अपीलकर्ताओं

को इस तर्क को मंजूरी देने के लिए सरकारी विभाग से ऊपर का दर्जा देना शामिल होगा कि अनुच्छेद 39 (ख), अपीलकर्ताओं को अधिनियम के तहत कार्रवाई का विरोध करने की अनुमति देगा, जबकि यह सरकारी विभाग को अनुमति नहीं देता है, जिसके तहत वास्तव में, अपीलकर्ता ऐसा करने के लिए कार्य करते हैं।

99. वास्तव में अनुच्छेद 31 (ख) और अनुच्छेद 31 (ग) का उद्देश्य उसके अंतर्गत आने वाले कानूनों को इस आधार पर चुनौती से संवैधानिक प्रतिरक्षा प्रदान करना है कि वे उसमें दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। दूसरे शब्दों में, न्यायालय उक्त अनुच्छेदों के अंतर्गत आने वाले कानूनों को अमान्य नहीं कर सकते हैं। हम अपीलकर्ताओं से सहमत हो सकते हैं कि कानूनों को सुरक्षा प्रदान करने के अलावा, निर्देशक सिद्धांत 'राज्य' को नियंत्रित करना जारी रखेंगे, जिसमें अनुच्छेद 36 के साथ पठित अनुच्छेद 12 को ध्यान में रखते हुए इसके उपकरण शामिल होंगे। यहाँ हम एक पहलू पर ध्यान दे सकते हैं। यहाँ तक कि जहाँ राज्य और उसके उपकरण निर्देशक सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, वहाँ वे अपने कार्यों में अनुचित या भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि अपीलकर्ता भी इस बात से सहमत हैं कि अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की अनुमति है।

100. यह अपीलकर्ताओं का तर्क है कि अधिनियम की धारा 60 प्रत्यर्थी को यह तर्क देने में मदद नहीं कर सकती है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम महत्वहीन और

अप्रासंगिक हो जाएगा जब यह अधिनियम के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खा सकता है। दूसरी ओर, राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 28, तर्क का विरोध करने के लिए स्थापित की गई है। इससे भी अधिक, इस न्यायालय के फैसले कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त बनाम एस्के फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के आधिकारिक परिसमापक ²³ और सांवरमल केजरीवाल बनाम विश्व कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड और अन्य²⁴ समर्थन में सूचीबद्ध हैं। सांवरमल केजरीवाल (पूर्वोक्त) में, जिस प्रश्न पर विचार किया गया, वह यह था कि क्या किराया नियंत्रण कानून की धारा 15 (क) के तहत सुरक्षा उस व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होगी जिसे किरायेदार का काल्पनिक दर्जा दिया गया था। महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम की धारा 91 के अनुसार किसी व्यक्ति को फ्लैट से निष्कासित करने का प्रावधान है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए दोनों अधिनियमों में सामंजस्य स्थापित किया कि पूर्ववर्ती किराया अधिनियम द्वारा शासित मामलों में इसके प्रावधान लागू होते रहेंगे।

101. कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त (पूर्वोक्त) में, सवाल यह उठा कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 11 (क) के तहत नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को देय बकाया को दी गई प्राथमिकता कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 (क) के अधीन थी। धारा 529 (क) के तहत, श्रमिकों के बकाया और सुरक्षित लेनदारों के देय ऋणों का भुगतान अन्य सभी

ऋणों की तुलना में प्राथमिकता से किया जाना था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ईपीएफ अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून था। ईपीएफ अधिनियम की खंड 11 (2) ने घोषणा की कि अधिनियम के तहत देय कोई भी राशि बैंक को देय ऋणों सहित अन्य सभी ऋणों के लिए प्राथमिकता में पहला शुल्क होगा जो एक सुरक्षित लेनदार की श्रेणी में आता है। यह विधियों और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के संदर्भ में है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बाद के अधिनियम, अर्थात् कंपनी अधिनियम 1956 में निहित सर्वोपरि खंड प्रभावी नहीं होगा। इस न्यायालय ने पैराग्राफ-42 और 44 में निम्नलिखित निर्णय दिया:

"42. श्री गौरव अग्रवाल का यह तर्क आकर्षक लगता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 529 (क) (1) में निहित सर्वोपरि खंड, ईपीएफ अधिनियम की धारा 11 (2) में निहित समान खंड पर प्रबल होना चाहिए, लेकिन यदि दोनों प्रावधानों को विधायिका द्वारा इन्हें अधिनियमित करके प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के आलोक में पढ़ा जाए, तो विद्वान अधिवक्ता से सहमत होना संभव नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 1973 के अधिनियम 40 द्वारा ईपीएफ अधिनियम में किए गए संशोधन का उद्देश्य नियोक्ता द्वारा देय राशि को प्रतिष्ठान की परिसंपत्तियों पर पहले शुल्क के रूप में मानना और यह सुनिश्चित करना था कि उनकी वसूली अन्य ऋणों की तुलना में प्राथमिकता से की जाए। इसके विपरीत, 1985 में कंपनी अधिनियम में किए गए संशोधनों का उद्देश्य श्रमिकों के पक्ष में कंपनी के सुरक्षित लेनदारों को उनके ऋणों की वसूली के लिए उपलब्ध प्रत्येक प्रतिभूति पर

शुल्क समान रूप से देना है। धारा 529 (क) की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह संकेत दे सके कि विधायिका श्रमिकों के बकाया के संबंध में पहला प्रभार बनाना चाहती है, जैसा कि धारा 529 (3) (ख) और 529 (क) में परिभाषित किया गया है और सुरक्षित लेनदारों को देय ऋण।

44. विधियों की व्याख्या का एक अन्य नियम यह है कि यदि दो विशेष अधिनियमों में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो उनमें निहित प्रावधानों पर एक अधिभावी प्रभाव डालते हैं, तो न्यायालय को दोनों अधिनियमों के अंतर्निहित उद्देश्य और नीति और भाषा द्वारा बनाए गए स्पष्ट इरादे पर विचार करने की आवश्यकता है।

102. जाहिर तौर पर, न्यायालय ने अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को ध्यान में रखने के अलावा इस तथ्य को ध्यान में रखा कि कंपनी अधिनियम की धारा 529 (क) ने कोई संकेत नहीं दिया कि कानून निर्माता उक्त प्रावधान के तहत पसंदीदा लेनदारों के संबंध में पहला आरोप लगाना चाहता था, जबकि ईपीएफ अधिनियम के तहत पहला आरोप लगाया गया था।

103. राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 28 के संदर्भ में, जिसे अधिनियम के उद्देश्य के साथ पढ़ा जाता है और अधिनियम की योजना और भाषा को ध्यान में रखते हुए, हम सोचेंगे कि बाद का अधिनियम प्रभावी होना चाहिए। यह इस बात के अधीन है कि हम इसके बाद क्या रखेंगे।

104. हमें नहीं लगता कि अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय के किसी ऐसे निर्णय का संकेत दिया है जो अपीलकर्ता के मामले को स्थापित करेगा।

105. अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम भारतीय संघ ²⁵, न्यायालय कोयले की ई-नीलामी के लिए पहले अपीलकर्ता द्वारा लिए गए निर्णय की वैधता से चिंतित था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निर्णय 01.12.2006 पर सुनाया गया था। उस समय आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोयला एक आवश्यक वस्तु था। यह पहलू निर्णय में प्रतिध्वनित होता है। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ई-नीलामी का आयोजन मूल्य निर्धारण के बराबर नहीं है। अपने निर्णय के दौरान, न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया:

"106. यह कहना सही नहीं हो सकता है कि कोई भी कार्रवाई जो संविधान के भाग IV के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, अधिकारातीत होगी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उसमें निहित सिद्धांत एक आवश्यक वस्तु के मूल्य निर्धारण के संबंध में एक प्रश्न निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक विचार का निर्माण करेंगे। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत एक नागरिक के मूल अधिकार की व्याख्या के साथ-साथ वैधानिक अधिकारों के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

109. यह सच हो सकता है कि बाजार की ताकतों को ध्यान में रखते हुए मूल्य तय करने की आवश्यकता होती है। मूल्य निर्धारण के संबंध में मांग और आपूर्ति एक प्रासंगिक कारक है। मुक्त अर्थव्यवस्था द्वारा शासित बाजार में, जहां प्रतिस्पर्धा एक प्रचलित शब्द है, उत्पादक अपना मूल्य खुद तय कर सकते हैं।

हालाँकि, एक ही समय में किसी राज्य के संवैधानिक दायित्वों और मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने वाले सिद्धांतों को लागू करना मुश्किल है। नई अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए एक समान अवसर महत्वपूर्ण कारक है। इस तरह का एक समान अवसर तब प्राप्त किया जा सकता है जब कई आपूर्तिकर्ता हों और जब बाजार में प्रतिस्पर्धी हों जो उपभोक्ता को वस्तुओं की खरीद के लिए विकल्प चुनने में सक्षम बनाते हैं। यदि खुले बाजार की नीति को प्राप्त करना है तो राज्य द्वारा उपभोक्ता के लाभ को सबसे अधिक ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

106. पैराग्राफ - 111 में, न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया:

"111. जब राज्य किसी आवश्यक वस्तु के संबंध में मूल्य निर्धारण की अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो उसकी एक अलग भूमिका होती है। इस तरह के मूल्य निर्धारण का उद्देश्य यह देखना है कि अंतिम उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तु प्राप्त हो और उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्माता/उत्पादक के लाभ मार्जिन को न्यूनतम रखा जा सके। इस मामले में यह सवाल ही नहीं उठता कि इस तरह के उचित मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाए, जैसा कि इसके बाद की चर्चाओं से पता चलता है, क्योंकि यहां केंद्र सरकार ने कोई मूल्य तय नहीं किया है और यह मामला कोयला कंपनियों पर छोड़ दिया। कोयला कंपनियों ने ई-नीलामी का सहारा लेते हुए भी कोई मूल्य तय नहीं किया। उन्होंने केवल एक ऐसी कार्यप्रणाली का सहारा लिया जिसके द्वारा कोयले का मूल्य परिवर्तनीय हो गया।

इसका एकमात्र उद्देश्य यह देखना था कि कोयले का अधिकतम संभव मूल्य प्राप्त किया जाए।.."

107. हम यहाँ देख सकते हैं कि ये अवलोकन उस समय किए गए थे जब कोयला एक आवश्यक वस्तु था। फरवरी, 2007 में निर्णय की तारीख के बाद कोयला एक आवश्यक वस्तु नहीं रह गया। हम एक पल के लिए भी यह नहीं मान रहे हैं कि कोयला एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन बन गया है। हम केवल इतना देख रहे हैं कि पैराग्राफ-111 में अवलोकन का आधार हटा दिया गया था।

108. न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया:

"113. राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी क्षेत्रों में निष्पक्ष और यथोचित रूप से कार्य करेंगे; यहां तक किराए के परिसर के मालिक के रूप में या किसी अन्य क्षेत्र में भी। (*बाबूराव शांताराम मोरे बनाम बॉम्बे आवास बोर्ड* देखें [एआईआर 1954 एससीआर 153:1954 एससीआर 572] एससीआर पृष्ठ 577, *द्वारकादास मरफतिया एंड संस बनाम बॉम्बे बंदरगाह के न्यासी मंडल* [(1989) 3 एससीसी 293: (1989) 2 एससीआर 751] एससीआर. पृष्ठ 760 और 762 और *पथुम्मा बनाम केरल राज्य* [(1978) 2 एससीसी 1: (1978) 2 एससीआर. 537] एससीआर. पृष्ठ 545.)"

109. इससे से भी आगे, हम पाते हैं कि पैराग्राफ-115 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "राष्ट्रीयकरण अधिनियम के प्रावधानों के अर्थ में कोयला कम्पनियाँ एकाधिकार हैं"।

110. पैराग्राफ-118 में यह फिर से देखा गया है कि प्रथम अपीलकर्ता और उसकी सहायक कंपनी को उत्पादन, वितरण और बिक्री का एकाधिकार प्राप्त था।

111. हम आगे ध्यान दे सकते हैं कि पैराग्राफ-167 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

"167. वास्तव में मूल्य निर्धारण पर इस न्यायालय के निर्णय यह भी इंगित करते हैं कि हालांकि उचित लाभ की अनुमति हो सकती है, मुनाफाखोरी नहीं होगी।"

112. अंततः, हम पैराग्राफ-193 में निम्नलिखित टिप्पणियाँ पाते हैं:

"193. हालाँकि, यहाँ पहले की गई चर्चाओं को एक कानून निर्धारित करने के लिए नहीं माना जाना चाहिए कि केंद्र सरकार और उस मामले के लिए कोयला कंपनियां अपने नीतिगत निर्णय को बदल नहीं सकती हैं। वे स्पष्ट रूप से कर सकते हैं; लेकिन इसके लिए एक ऐसा जनहित होना चाहिए जो केवल लाभ के उद्देश्य से विरोधाभासी हो। ठोस और वैध कारणों से नीतिगत निर्णय में कोई भी बदलाव कानून में स्वीकार्य है; लेकिन ऐसा बदलाव केवल तभी होना चाहिए जब यह आवश्यक हो, और कोयले के वास्तविक उपभोक्ताओं को बाकी से अलग करने की कवायद शुरू करने हो। यदि कोयला कंपनियां कोई भी कदम उठाने का इरादा रखती हैं तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हो सकती हैं। लेकिन इसे संवैधानिक आवश्यकताओं के साथ-साथ वैधानिक योजनाओं को भी पूरा करना होगा; यहाँ तक कि मौजूदा योजना जैसे खुली बिक्री योजनाओं के संबंध में भी, निर्विवाद रूप से कोयला कंपनियों को नई नीति तैयार करने की स्वतंत्रता होगी जो बदली हुई स्थिति का सामना करेगी। ई-

विज्ञापन या ई-निविदा का स्वागत किया जाएगा, लेकिन इसके लिए अधिक पारदर्शिता बनाए रखी जानी चाहिए।

113. अपीलकर्ता इस प्रस्ताव के लिए तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम एल. अबू कावुर बाई और अन्य²⁶ में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं कि एकाधिकार या राष्ट्रीयकरण की योजना लोकहित के लिए है। उक्त मामले में, न्यायालय परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण के मामले पर विचार कर रहा था। इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम का उद्देश्य वास्तव में लोकहित की रक्षा करना था जैसा कि तारा प्रसाद सिंह और अन्य बनाम भारतीय संघ और अन्य²⁷ में अभिनिर्धारित किया गया था। राष्ट्रीयकरण अधिनियम के तहत निहित करने का उद्देश्य लोकहित के लिए संसाधनों का वितरण करना था। (पैराग्राफ - 32 देखें)

114. वास्तव में, हम कोयले के अक्षय नहीं होने के बारे में न्यायालय की चिंता और पैराग्राफ - 39 में व्यक्त संसाधनों के बुद्धिमान और योजनाबद्ध संरक्षण की आवश्यकता पर ध्यान दे सकते हैं। निस्संदेह यह सब उस समय हुआ था जब राष्ट्र को खदानों की स्थिति का सामना करना पड़ा था, जैसा कि वस्तुओं के विवरण में बताया गया था।

115. हम अपीलकर्ताओं से सहमत हैं और जैसा कि कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी और अन्य²⁸ में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित

किया कि वितरण व्यापक अर्थ वाला शब्द और यह संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) के अंतर्गत आता है। यह याद रखना चाहिए कि न्यायालय के पास यह अभिनिर्धारित करने का अवसर था कि राष्ट्रीयकरण का वितरण शब्द के साथ कोई संबंध नहीं है।

116. वामन राव और अन्य बनाम भारतीय संघ और अन्य ²⁹ में इस न्यायालय के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 39 (ख) और 39 (ग) को प्रभावी करने के लिए पारित कानून को अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी नहीं पाया जा सकता। कोई झगड़ा नहीं हो सकता। हमें, इस मामले में, अपीलकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर मामले से निपटने के लिए कहा जाता है, जो राष्ट्रीयकरण अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों के आधार पर एक सरकारी कंपनी है, जिसे संसद द्वारा बाद में बनाए गए कानून के आधार पर चुनौती दी जा रही है, जिसकी वैधता प्रासंगिक रूप से चुनौती के अधीन नहीं है।

117. समता बनाम ए.पी. राज्य और अन्य ³⁰ में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कोयले के वितरण का उद्देश्य लोकहित को बढ़ावा देना है। लोकहित की सामग्री स्वयं में एक स्थिर अवधारणा नहीं है। इसका संदर्भ उस समय से लिया जा सकता है जब मामला न्यायालय में विचार के लिए आता है। यदि संसद का इरादा है कि राज्य का एकाधिकार, भले ही वह वितरण के मामले में हो नए आर्थिक प्रशासन के दायरे में आना चाहिए, न्यायालय द्वारा इसे इस

आधार पर त्रुटिपूर्ण नहीं पाया जा सकता है कि राज्य के एकाधिकार को अधीन करने से लोकहित में कमी आएगी, पूर्ववर्ती राष्ट्रीयकरण अधिनियम जब अधिनियमित किया गया था, निस्संदेह, इसका पालन करने में सफल रहा था। हमें यह अभिनिर्धारित करने का कोई कारण नहीं दिखता कि एक सरकारी कंपनी के माध्यम से चलाया जा रहा राज्य एकाधिकार, यहां तक कि निर्देशक सिद्धांतों में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी, अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएगा।

118. हमने अधिनियम की धारा 4 के तहत उचित बचाव करने के लिए अपीलकर्ताओं के अक्षम होने के मामले में अपीलकर्ताओं की कुछ चिंताओं का अनुमान लगाया है।

119. यह सच है कि अपीलकर्ताओं के कार्यों को न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही में चुनौती दी जा सकती है जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया है। समान रूप से, अपीलकर्ताओं का इस तथ्य को इंगित करना उचित है कि सीसीआई के अलावा कोयला नियंत्रक जैसे अन्य मंच हो सकते हैं जिनके तहत अपीलकर्ताओं की कार्रवाई के खिलाफ निवारण की मांग की जा सकती है। लेकिन इसके परिणामस्वरूप, अन्यथा लागू होने वाले कानून के उल्लंघन की शिकायत करने वाले पक्ष को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह भी याद रखना चाहिए कि सीसीआई द्वारा स्वप्रेरणा संज्ञान लेकर भी कार्रवाई की जा सकती है। अधिनियम के तहत प्राधिकरण के लिए दी गई शक्ति का क्षेत्र इतना है।

120. हम केवल यह स्पष्ट करेंगे कि राज्य का एकाधिकार के रूप में अपीलकर्ता के लिए यह खुला होगा कि वह यह प्रदर्शित करने के लिए सभी विवादों को उठाएगा कि प्रमुख स्थिति का कोई दुरुपयोग नहीं है। चाहे वह अंतर मूल्य निर्धारण हो या उत्पादन को सीमित करने या प्रतिबंधित करने का निर्णय, यदि यह राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है या राष्ट्रपति के निर्देशों पर आधारित है और अपीलकर्ता स्वयं निर्देशों या नीति का ईमानदारी से पालन करने के बाद ऐसा विवाद उठाता है, तो यह एक ऐसा मामला हो सकता है, जिस पर सीसीआई को यह तय करने में विचार करना होगा कि क्या प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग हो रहा है। यदि अपीलकर्ता अनुच्छेद 36 में राज्य के विवरण का उत्तर देते हैं, तो निर्देशक सिद्धांतों का पालन करना उनका निरंतर कर्तव्य है। अधिनियम के परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं को केवल लाभ कमाने वाले इंजनों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है या उन्हें संविधान के तहत अपने दायित्वों से अनजान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका समान रूप से यह मतलब नहीं हो सकता कि वे लोभ के साथ कार्य कर सकते हैं, या अनुचित तरीके से या अन्यथा समान रूप से स्थित व्यक्तियों या चीजों के साथ भेदभाव के साथ व्यवहार कर सकते हैं। हम अधिक नहीं कहते हैं क्योंकि मामले पर अपील में अपने गुणदोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए जैसा कि सभी स्थानांतरित मामलों में किया जाता है। हम केवल यह जोड़ सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा में अपीलकर्ताओं को निष्पक्षता

के मानक के साथ-साथ भेदभाव न करने के कर्तव्य का पालन करना होगा। जब अधिनियम के तहत संसद द्वारा एक विशेष मंच बनाया गया है, जहाँ सीसीआई एक विशेषज्ञ निकाय होने के आलावा, यह विशेषज्ञों से मूल्यवान आदानों को माँग और प्राप्त कर सकता है, तो अपीलकर्ता निष्पक्षता के मानकों और भेदभावपूर्ण प्रथाओं से बचने के कर्तव्य को लागू करने का विरोध नहीं कर सकते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह मामला जाँच महानिदेशक की रिपोर्ट से पहले का है।

अधिनियम की धारा 28 और राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 32 के बीच संघर्ष

121. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 28 इस प्रकार है:

28 (1) आयोग उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, लिखित आदेश द्वारा, प्रमुख स्थिति का आनंद लेने वाले उद्यम के विभाजन का निर्देश दे सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा उद्यम अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग न करे। (2) विशेष रूप से, पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आदेश निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकता है, अर्थात् (क) संपत्ति, अधिकारों, देनदारियों या दायित्वों का स्थानान्तरण या निहित करना; (ख) किसी देयता या दायित्व के निर्वहन या कटौती द्वारा या अन्यथा अनुबंधों का समायोजन; (ग) किसी शेयर, स्टॉक या प्रतिभूतियों का निर्माण, आवंटन, समर्पण या रद्दीकरण; 48 (घ) [प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा छोड़ दिया गया] (ङ) किसी उद्यम का गठन या समापन या किसी उद्यम के

व्यवसाय को विनियमित करने वाले संघ के ज्ञापन या संस्था के अंतर्नियम या किसी अन्य साधन का संशोधन; (च) उद्यम द्वारा किसी उद्यम को प्रभावित करने वाले आदेश के प्रावधानों को किस हद तक और किन परिस्थितियों में बदला जा सकता है और उसका पंजीकरण; (छ) कोई अन्य मामला जो प्रभावी होने के लिए आवश्यक हो सकता है। (3) तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य कानून में या किसी अनुबंध में या किसी ज्ञापन या संस्था के अंतर्नियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कंपनी का कोई अधिकारी जो किसी उद्यम के विभाजन के परिणामस्वरूप पद धारण करना बंद कर देता है, वह ऐसे उपकरकर्ता के लिए किसी भी मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं होगा।"

122. यह निस्संदेह सत्य है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम के तहत खदानों के संबंध में अधिकार निहित किए गए हैं। इससे भी आगे, राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 5 के तहत पट्टेदार के अधिकारों को पहले अपीलकर्ता में निहित कर दिया गया है। राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 11 के तहत, निहित विचारों के सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और प्रबंधन की शक्ति, प्रथम अपीलकर्ता कंपनी में निहित है। यदि अधिनियम की धारा 28 को लागू किया जाता है और विभाजन का आदेश देने के लिए निर्देश दिया जाता है, तो निस्संदेह, यह राष्ट्रीयकरण अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत होगा।

123. कुछ प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रथमतः, अधिनियम को कोई चुनौती नहीं है। दूसरा, अधिनियम को स्पष्ट रूप से लेते हुए, विभाजन का

आदेश देने की शक्ति और इससे भी अधिक, धारा 28 (2) में उल्लिखित सभी चीजें स्पष्ट रूप से सीसीआई को प्रदत्त की गई हैं। अधिनियम की धारा 60 में निहित सामान्य सर्वोपरि खंड के अलावा, अधिनियम की धारा 28 के बारे में एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि धारा 28 (1) में प्रचुर सावधानी के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि सीसीआई जो कुछ भी आदेश दे सकता है, वह उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज के बावजूद होगा। संसद ने राष्ट्रीयकरण अधिनियम को अधिनियम में निरूपित किया। विधायी क्षमता की कमी का कोई सवाल ही नहीं है। हमें अधिनियम के दायरे में बयान देने के लिए नहीं कहा गया है। किसी भी तरह से, प्रावधान को पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, यहां तक कि इस आधार पर आगे बढ़ने की चुनौती के अभाव में भी प्रयास किया जा सकता है। प्रावधान के शब्द इसे पढ़ने के लिए स्वीकार नहीं करते हैं। अतः निम्नलिखित बात यह है कि संसद ने अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, प्रमुख शक्ति का आनंद लेने वाले उद्यम के विभाजन का आदेश देने की शक्ति प्रदान की है। इसमें अपीलकर्ता भी शामिल होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें इस प्रावधान को समझना चाहिए कि यह वो शक्ति नहीं है जिसका उपयोग हलके में किया जाए। यह एक विशेष शक्ति है जिसका उद्देश्य प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग की रोकथाम सुनिश्चित करना है। शक्ति की व्यापकता धारा 27 में प्रकट की गई है। हम संयोग से देखते हैं कि हालांकि एक उद्यम और

एक समूह द्वारा प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग हो सकता है, जिसे प्रतिबंधित करने की मांग की जाती है, धारा 28 एक उद्यम के विभाजन के बारे में बात करती है। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अधिनियम के दायरे से बचने के लिए बनाए गए मामले में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

124. अधिनियम की धारा 54 केंद्र सरकार को अधिनियम या किसी भी प्रावधान को लागू करने और अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी अवधि के लिए छूट देने की शक्ति देती है। छूट का आधार राज्य की सुरक्षा या यहां तक कि सार्वजनिक हित भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अपीलकर्ता, यदि जनहित में अधिनियम के दायरे से बाहर ले जाने के लिए कोई वास्तविक मामला बनाया जाता है, तो सरकार शक्तिहीन हो जाएगी। हम और नहीं कहते हैं।

125. हम यह अभिनिर्धारित करेंगे कि अपीलकर्ताओं के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि अधिनियम अपीलकर्ताओं पर लागू नहीं होगा क्योंकि अपीलकर्ता राष्ट्रीयकरण अधिनियम द्वारा शासित हैं और राष्ट्रीयकरण अधिनियम का अधिनियम के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पहले बताया गया है कि यह अपीलकर्ताओं को कानून के तहत अपने कार्यों की रक्षा करने के सभी अधिकार होने के अधीन है। स्थानांतरित मामलों को वापस भेज दिया जाएगा ताकि उनका निपटारा उनकी योग्यता के आधार पर किया जा सके। स्थानांतरित मामलों का निस्तारण किया जाता है।

126. समान रूप से, अपील को अपने गुणदोष के आधार पर निपटाने के लिए पोस्ट किया जाएगा। लंबित अपील में अंतरिम राहत की मांग करने वाले अंतर्वर्ती आवेदन जुलाई, 2023 के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध होंगे। अवमानना याचिका जुलाई, 2023 के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध होगी। आई.ए. सं. 66587/2017 के संबंध में दायर आवेदनों का निस्तारण कर दिया जाएगा।

..... न्या.,
(के. एम. जोसेफ)

..... न्या.,
(बी. वी. नागरत्ना)

..... न्या.,
(अहसानुद्दीन अमानुल्लाह)

नई दिल्ली;

15 जून, 2023

(Translation has been done through AI Tool : SLAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।